

[श्री ना० रा० पाटिल]

श्रीर केन्द्र सरकार को इस कालेज की स्थापना करने में महाराष्ट्र सरकार की मदद करनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ।

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Substitution of article 370)

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I introduce the Bill.

15.5 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Amendment of article 74 and insertion of new articles 74A, 74B, etc.)

SHRI HARDAYAL DEVGUN (East Delhi) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL *Contd.*

(Amendment of articles 330 and 332)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Suraj Bhan on the 31st July, 1970 :—

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

Shri Molahu Prasad was on his feet on the last occasion. He is to resume his speech today, but the hon. Member is absent.

CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL*

(Insertion of new articles 23A, 23B and 23C)

SHRI HARDAYAL DAVGUN : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : I introduce the Bill.

श्री अम्बुल गनी डार (गुडगांव) : उपाध्यक्ष महोदय यहां सिवाय ब्रावू जगजीवन राम जी को और सर्वावेया जी को छोड़कर के जितने भाई बहन है उनका कहना यही है कि : यही कातिल यही शाहिद यही मुसिफ ठहरे । अरबा मेरे करे न खून दावा किस पर ॥ उनका कहना यही है कि मुहनों से महात्मा गांधी जी ने और उनसे भी पहले ऋषि दयानन्द जी ने अपने हिन्दू भाइयों और बहनों की तबज्जह इस तरफ दिखाई कि वह देश जिस देश ने सारे दुनिया को आत्मा और परमात्मा

का ज्ञान दिया, जो धर्म्य धर्म्ये बाहर से उन्होंने आकर के यहां के जनूबी हिन्दुस्तान के रहने वाले खासतौर पर तामिलनाडु के जो मालिक थे इस मुन्क के घोर हरिजन भाई जिनको आज हरिजन कहते हैं उनको दबाया, लेकिन भगवान राम ने भीलनी के जूठे बेर खाये। भगवान राम को इमामे हिन्दू कहते हैं कि वह सबके बड़े अगुआ थे, अल्लामा इकबाल भी उन को इमामे हिन्दू कहते हैं। हिन्दू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि जितना यह विशाल है... (व्यवधान)... मैं हरिजन पर आ रहा हूँ क्योंकि आप जैसे मह-पुष्प जो वहाँ बैठे हैं, आपकी कातिल मैंने कहा है इसलिए आपको तकलीफ हुई, मेरा कोई कसूर नहीं है।

मैं यह कह रहा हूँ कि हिन्दू धर्म ही एक ऐसा विशाल धर्म है सारी दुनिया में कि जिसमें खुदा को मानने वाला और न मानने वाला बराबर तौर पर हिन्दू रह सकता है, हर सोसाइटी में जा सकता है, हर मजलिस में जा सकता है, हर जगह जा सकता है। लेकिन इस्लाम ही या क्रिश्चियनिटी ही या सिख धर्म ही या कोई और धर्म हो, यहूदी धर्म हो, उनमें जो खुदा को न माने वह उस धर्म का मानने वाला नहीं कहलाता। न वह मुसलमान कहलाता है न ईसाई कहलाता ; न यहूदी कहलाता है न सिख कहलाता है। अगर वह खुदा को न माने इसी तरह बौद्ध या वह लोग जो कि नास्तिक हैं उनमें स अगर कोई खुदा को मान ले तो वह उसको बौद्ध नहीं म नते। लेकिन एक हिन्दू ही है जो खुदा को मानने वाले और न मानने वाले सबको गले लगाता है। बुत-परस्त और बुत-सिकन, आर्य समाज और सनातन धर्म दोनों, एक बुतों की पूजा करने वाला एक बुतों का खण्डन करने वाला है, लेकिन दोनों को बराबर का हक हासिल है। किसी को कम हक हासिल नहीं है। यहां दोनों तरफ के भाई बैठे हैं, बहने भी बैठी हैं। ऐसा धर्म जो इतना विशाल है

और जिसने सारी दुनिया को समझाया हो कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, जिसने वेद मुकद्दस ऐसी पाकीजा किताब दी हो दुनिया को जिसने श्री मद्भागवद्गीता जैमी मुतवरक और छोटी सी किताब जो अमल ही अमल से भरी है जिसमें कर्म ही कर्म है वह दुनिया को दी है, जिसने दो दुनिया की बड़ी जंगे सिर्फ स्त्री जाति की इज्जत को बवाने के लिए लड़ी-रामायण और महाभारत की, उनमें हरिजनों को, कुछ लोगों को नहीं, करोड़ों बहन भाइयों को अछूत कहते रहे, उनको हजारों वर्षों से आप जलील करते रहे, वह बेचारे बड़े ही परमादा हैं, आपके दिल में उनके लिए दुख होना चाहिए, उनका कोई इलाज आपकी तरफ से होना चाहिए था। गांधी जी ने आवाज उठाई, हिन्दू धर्म जो इतना विशाल था... (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : I hope he is aware what we are discussing.

श्री अम्बुल गनी डार : मैं जरा अजं कर्क डिप्टी स्पीकर साहब, आप बड़े काबिल हैं, आपकी मैं तारीफ करता हूँ लेकिन आप जैसे कई मेरे जेब में पड़े हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आपने उनको हक नहीं दिया यानी इतना विशाल दिल हो आपका, आपने सारी दुनिया को इल्म की दौलत से, परमात्मा की दौलत से, आत्मा की दौलत से मालामाल कर दिया तो इन हरिजन भाइयों को जिनको आपने तबाह व वरबाद किया, खैर, वह मैं जब मैं आऊंगा रोड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर बोलूंगा, वह बातें उस दिन कहूंगा, मैं तो आज आपसे सिर्फ अपील यह करना चाहता था कि आप का दिल इतना बड़ा है, आपने दो सिख भाइयों को यहां स्पीकर बनाया यह बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है और आपको भी यह पहला मौका दिया है मिस्टर स्वेल् को जो क्रिश्चियन है, डिप्टी स्पीकर बनने का, परमात्मा ने चाहा तो आप स्पी-

[श्री अब्दुल गनी डार]

कर भी बन जायेंगे क्योंकि होशियार बहुत हैं। तो मैं यह कह रहा था कि हरिजन भाइयों को महात्मा गांधी ने कहा कि हरिजन बेटी प्रधान मंत्री बनेगी, खैर इन्दिरा बन गयीं, तब भी कोई हर्ज नहीं, हम उन्हीं को हरिजन मान लेते हैं क्योंकि हरिजन माने तो खुदा की औलाद है तो इंदिरा भी खुदा की औलाद तो हैं ही, तो मैं यह कह रहा था कि यह बिल जो आया है सूरजभान जी का, वह इसे दुखी होकर लाएँ हैं। आप चलकर देखिये, मेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया है, बड़े-बड़े अफसरों में जीरो परसेंट, कमांडर इन चीफ हो, उनके नीचे की फौज हो, आई जी हो डी आई जी हों, इनमें सबमें जीरो परसेंट। मिनिस्ट्रों में जरूर बाबू जगजीवन राम जी ऐश कर रहे हैं बड़ी मुद्त से, मुझे कोई इससे तकलीफ नहीं और संजीवैया जी ने गांधी जी को कभी देखा भी नहीं लेकिन मिनिस्टर हैं अच्छा है यह भी ऐश करें। मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन सूरजभान जी का कहना है कि आपने इतना इनको सताया और अब करार भी करते हो कि हम हरिजनों को जो इनका हक है वह देना चाहते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ रणधीर सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहां हैं हरिजन ? तो मैं कहता हूँ कि उनसे कि चंपरासियों में भी कहीं हरिजन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चलिये दिखाइये कि कितने हरिजन बलकं हैं ? यहां आप कहते हैं कि रेप्रेजेन्टेशन ज्यादा मांगते हैं तो उनकी मांग यह बिल्कुल सही है। क्यों सही है ? वह इसलिए कि काश आज वह भी आपके बराबर होते और आपका मुकाबला करके आपको नीचे गिराते। और अब वह भी नीचे गिरायेंगे जरूर। या तो आप उनको दीजिये, उनका हक दीजिये, ... (ध्वजध्वान) .. मेरी बात सुन लीजिये। आप खफा हो जाते हैं, मैं खफा नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। मैंने यह कसम खा रखी है। वह कहते

हैं कि

आगे आती थी हाले दिल पर हंसी अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती।।

एक तरफ से कहते हो कि हमारे भाई हैं और मैं कहता हूँ भाई नहीं, आपके पिता हैं, आपकी मां हैं क्योंकि इन्हीं से आप पैदा हुए, कुछ लोग जो गरीब थे, जैसे अंग्रेजों के जमाने में जिन्होंने अंग्रेजों की बगल में उनको घोसी बना दिया, घसियारा बना दिया वे बेचारे कांग्रेस चलाने लगे। जो बड़े-बड़े जमींदार थे, राजपूत थे, जाट थे, बड़े शानदार सिपाही थे, वे बेचारे यहां आकर घसियारे बन गये, तुमने इनको घसियारा बना दिया...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : गवर्नर हैं, वजीर हैं, घसियारे कहां हैं ?

श्री अब्दुल गनी डार : डिप्टी स्पीकर साहब, ये बड़े समझदार हैं, इन्होंने आपको डिप्टी स्पीकर बनाया, हो सकता है कभी आप को राष्ट्रपति बनाये, लेकिन यह बताइये क्या ईसाइयों को सर्विसिज में पूरा रिप्रेजेन्टेशन मिल रहा है ? यह इनकी चाल है। मुसलमान मरहूम डा० जाकिर हुसैन को प्रेजिडेंट बनाया, सर हिदायतुल्ला को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, लेकिन क्या मुसलमानों का जो हक है, वह उनको मिला, 10 परसेंट भी दिखाएँ तो मैं एक मिनट में रिजाइन करने को तैयार हूँ। असलियत यह है कि ये किसी को भी उसका हक देने के लिये तैयार नहीं हैं। सूरजभान जी का कहना है कि अगर आपके दिल में बाकई दर्द है कि हरिजनों के साथ नाइन्साफी हुई है तो आप हमारी परसेंटेज के मुताबिक हमारी रिप्रेजेन्टेशन को बढ़ाइये, क्योंकि वह कम है। कम क्यों हैं ? इसलिए कम है कि वे किसी भी जगह दिखाई नहीं देते

فرقی عیدالغنی ڈار۔ بے کوئی رنگ نہیں ہے۔ آپ غلامت کے چلے گئے۔ غدار ہو گئے۔ آپ بگھے ہیں جیسے جوئے کے گلابوں میں جانور قرار دیدیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈالڈا میں جو ساری دنیا میں ملاوٹ ہو رہی ہے اس کو بھی جانور قرار دیدیا جائے جو دھری رندھیر سنگھ کی زینوں پر تیسرہ ہو رہا ہے۔ کل آپ کی پگڑی پر بھی قبضہ کر لیں گے۔
- (انٹرنیشن) -

ڈپٹی سپیکر صاحب میرا کہنا یہ ہے کہ ان کا نامائندگی کا حتمی نتیجہ وہ ہیں کہ پورا دیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آبادی کے مطابق ہم کو حق ملنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں وزیر صاحب کہس نے ہم نے ہرگز ان کو بڑا درجہ دیا ہوا ہے۔ میں وزیر صاحب کے ساتھ اپنی گردن بھگا دوں گا۔ اگر وہ کچھ بھی بگھے دکھا دیں۔ ورنہ دوستوں صحیح بات یہ ہے۔

آنکھ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم یہ لاسکتا نہیں
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی

اور یہی ہونے والا ہے۔ اگر اسی طرح سے ایسے ہوا تو جو حشر درپردہ کا ہوا۔ راؤن کا ہوا۔ ککشن کا ہوا۔ اور رنگ زیبائی کی اولاد عالمگیر کا ہوا۔ وہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے انصاف نہ دیا تو ہم اور آپ یہاں قتل کئے جائیں گے۔ اور کتے بھی ہمارے ستم میں پیش کر دیں گے۔

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुरील ।

श्री मोलहू प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, घापने हमारा नाम पुकारा था.....

MR DEPUTY-SPEAKER : At the very beginning I called your name saying that you were on your feet ; you should continue your speech, but you were not there. All the same, I will allow you.

श्री बं० ना० कुरील (रामस्नेहीघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, सूरज भान जी जो बिल सदन के सामने लाये हैं, यह बहुत साधारण मा बिल है, इस में कोई कम्पलीकेशन नहीं है। हमारे संविधान में दिया हुआ है कि आबादी के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइव्स के लिये लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटें सुरक्षित होंगी और उनका परसेन्टेज निकालने के लिये उन्होंने कहा है कि जहां तक सम्भव हो निकटतम आंकड़ें लिये जाय। श्री सूरज भान जी यह चाहते हैं कि आबादी का हिसाब करते समय उनकी पूरी संख्या को दृष्टि में रख कर सीटें रिजर्व की जाय। इसमें कोई बहुत बड़ा अन्तर होने वाला नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसे मान लेने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

सदस्यों को भी इस का समर्थन करना ही चाहिये, क्योंकि हमारे संविधान में यह दिया हुआ है और हम ने यह माना हुआ है कि कम से कम आबादी के मुताबिक असम्बली और लोक सभा में उन की जगहें रिजर्व की जाय, तो फिर इन आशिक आंकड़ों, फिक्शन फिगर्स के लिए भगडा क्यों करते हैं, इस को मान लेने में क्या दिक्कत है।

कभी कभी सरकार के लोगो से बातचीत करने से मालूम हुआ कि इस तरह से मान लेने में असम्बली और लोक सभा में बहुत सी सीटें बढ़ जायगी। लेकिन ऐसा नहीं है-इस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ फर्क अवश्य पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा अभी असदुलगनी दर साहब ने कहा - ये लोग बहुत दिनों से पिछड़े हैं, सताये हुए हैं, अगर इस असम्बलमेंट से इन लोगो को कुछ फायदा हो जाय, तो वह बहुत अनुचित बात नहीं होगी। जैसा मैंने अभी कहा-फिक्शन फिगर्स से बहुत ज्यादा अन्तर पड़ने वाला नहीं है।

एक बात यह भी कही गई कि कहीं कहीं पर ऐसा हो जायगा - सारे शेड्यूल्ड ट्राइव्स के लोग ही आ जायेंगे। आप जानते हैं कि हमारे शेड्यूल्ड कास्टस की पोपुलेशन इतनी कन्सेन्ट्रेटेड नहीं है, जितनी बहुत जगहों पर शेड्यूल्ड ट्राइव्स की है। इस लिए वे लोग डरते हैं कि अगर वहां 4-6 और बढ़ गये तो मुमकिन है कि उन की मंजोरिटी हो जाय, खास तौरसे कुछ सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज में हो सकता है, अगर ऐसा भी हो जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस में क्या आफत आजायगी। अगर किसी जगह उन की आबादी ज्यादा है और उन की वहां पर मंजोरिटी हो जाती है तो वे अपनी सरकार बनायेंगे-इस में दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है ?

मैं समझता हूँ कि इस में कोई कम्पलीकेशन नहीं है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि हाउस इस को एक्सेप्ट करे।

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिसे श्री सूरजभान जी ने रखा है और जिस पर सदन में चर्चा हो रही है, इस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। समर्थन के पर्याप्त कारण हैं। कुछ लोग जो जनसंघ पार्टी के नहीं हैं, यह चर्चा चला रहे

[श्री मोलहू प्रसाद]

हैं कि यह बिल जिस सदस्य ने पेश किया है वह जनसंघ पार्टी का है, इस लिए इस बिल को अपोज करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जब जनसंघ पार्टी के प्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बिल का सब लोगों ने समर्थन किया, हमारी पार्टी के श्री मधु लिमये के बिल का सब लोगों ने समर्थन किया, सरकार ने भी सपोर्ट किया, श्री नाथपाई के बिल का सब लोगों ने समर्थन किया, सरकार ने भी समर्थन किया, पिछले साल जाड़े वाले सेशन में श्री शिव चन्द्र भा के सशोधन को सरकार ने स्वीकार कर लिया मोटर विहिकल्ज बिल पर, तो जब सभी मामलों में सरकार गैर-सरकारी मेम्बरों के विधेयकों को सपोर्ट कर रही है फिर अगर अनुसूचित जातियों को आबादी के अनुपात में संरक्षण देने वाले विधेयक का विरोध करती है तो उससे यही जाहिर होगा कि सभी मामलों में सरकार रिपोर्ट कर सकती है लेकिन अनुसूचित जातियों का मामला है और अनुसूचित जाति के मेम्बर ने उनको पेश किया है इसलिए उसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है। बहुमत के द्वारा इसका निर्णय लेना चाहती है लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर सारे प्रश्नों का उत्तर बहुमत ही देगा तो अनुसूचित जाति वालों को कोई न्याय मिल सकेगा। इसलिए सरकार को इसमें दलगत भावना से ऊपर जाना चाहिए। पिछली कार्यवाहियों से यह स्पष्ट है कि सरकार ने गैर-सरकारी विधेयकों का समर्थन किया है। इसमें सभी बलों को राजनीति से ऊपर उठकर फँसला करना चाहिए और सरकार भी उसी तरह से राजनीति से ऊपर उठ करके इस समस्या के समाधान के लिए फँसला कर ले कि जनसंख्या के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय—चाहे वह लोक सभा हो या विधान सभायें हों या नौकरियों का मामला हो—हर मामले में आबादी के अनुपात में उनको संरक्षण मिलना चाहिए।

इसमें दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं लेकिन वहाँ पर आदिम जाति के हैं। मेरा निवेदन यह है कि जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग नहीं हों वहाँ पर आरक्षित स्थान आदिम जातियों को दे दिये जायें और जहाँ पर आदिम जाति के लोग नहीं वहाँ पर अनुसूचित जातियों को आरक्षित स्थान दे दिये जायें।

इस सम्बन्ध में मैंने विधि मंत्रालय से एक प्रश्न भी किया था जिसके उत्तर में उस समय श्री गोविन्द मेनन कहा था कि इस सम्बन्ध में जानकारी न तो पुनाब आयोग के पास है और न विधि मंत्रालय के पास है। इस पर मैंने सोचा कि यह जानकारी चाहे पुनाब आयोग के पास न हो विधि मंत्रालय के पास न हो लेकिन चूँकि फेमिली प्लानिंग इस देश में बहुत चल रही है इसलिए हो सकता है वह जानकारी फेमिली प्लानिंग वालों के पास में हो। इस देश में सारी समस्याओं का निदान फेमिली प्लानिंग समझ लिया गया है। यूँ तो हर चीज में मितव्ययिता के उपदेश दिये जाते हैं। खाने की कमी है तो सोमवार को उपवास कर लो। कुछ पाटियां कहेगी कि मंगलवार को उपवास करो। इस तरह से सभी पाटियों ने अगर एक-एक दिन अपना निया और हर एक पार्टी के नाम पर एक-एक दिन उपवास किया जाये तो फिर इस देश में जो खाद्य समस्या है वह हल हो जायेगी। इस तरह से तो अगर ग्रन्थ की कमी है तो उपवास कर लो, पानी की कमी है तो प्यासे रह जाओ और कपड़े की कमी है तो थोड़ा जाड़ा गर्मी और बरसात वर्दाश्त करके रहो। अगर यही सभी प्रश्नों का हल है तो फिर क्या कहा जाय? इसी तरह से सरकार ने हर समस्या का निदान फेमिली प्लानिंग को समझ लिया है। मेरा निवेदन है कि हरिजनों के लिए अगर कोई समस्या है जैसे—छात्रवृत्ति की या थोड़ी दूसरी—तो वह एक वित्तीय सकट कहेंगे हैं। इस वित्तीय सकट को हल करने के लिए मेरा सुझाव है कि इस फेमिली प्लानिंग योजना को तोड़ दिया जाये और उसकी सारी धनराशि को समाज कल्याण पर लगाया जाये ताकि यह मामला सुलभ सके। समाज कल्याण पर सोचते हुए सभी सदस्य और यह सरकार दूसरी दृष्टि से सोचे। अगर इसी दृष्टि से सोचा जायेगा कि सारी बीमा-

रियों की जड़ जनसंख्या है तो फिर यह समस्या कभी भी हल होने वाली नहीं है। आज के ही अखबार में यह ख़ास है कि इस देश में 35 करोड़ लोग निरक्षर हैं। उनके लिए हमने कहा कि कोई साक्षर सेना बना लो। हमसे आज जो पढ़े लिखे लोग बेकार हैं उनको रोजगार भी मिल जायेगा और दूसरी तरफ 35 करोड़ लोग साक्षर बन जायेंगे जिससे उनको देश की परिस्थिति का ज्ञान हो सकेगा। अभी आप लोगों से—कहने हैं कि जिन अनुपात में जन संख्या बढ़ रही है उस अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है तो हिन्दुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपकी इस बात को समझ लेंगे? अगर वे निरक्षर रह जायेंगे तो आपकी फेमिली प्लानिंग बेमतलब हो जायेगी। अभी 35 करोड़ निरक्षरों से यह अपेक्षा करना कि जनसंख्या किम गति से बढ़ रही है, उत्पादन किस गति से बढ़ रहा है, कहां तक उचित है? इसलिए इस सरकार के पास कोई उचित नक़ नहीं है कि इस विधेयक का समर्थन न करे।

वैसे तो सरकार ने शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के लिए बहुत पहले से अखबारों में समाचार दे दिया था कि शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित की जायेगी परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी 27 जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या 5 के भाग (घ) में यह उत्तर दिया है कि फिलहाल यह कहना सम्भव नहीं है कि कानून कब तक बन जायेगा क्योंकि यह राज्यों से उत्तर प्राप्त होने पर तथा उन उत्तरों के स्वरूप पर निर्भर करेगा। तो शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक को पेश करने के सम्बन्ध में सरकार का यह उत्तर है। इसका कोई पता नहीं कि कब राज्यों से उम विधेयक पर प्रतिक्रिया आयेगी, कब केन्द्रीय सरकार उम पर निर्णय लेगी और कब वह कानून बनेगा। जब तक आप ऊंची आमदनियों को समाप्त नहीं करते तबतक आप नीचे वालों को ऊपर नहीं

उठा सकते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह जल्द से जल्द शहरी सम्पत्ति की उच्चतम सीमा निर्धारित करने वाले विधेयक को लाये। जब ऊपर वाली घनराशि घटे तभी नीचे के लोगों का विकास हो सकेगा। वरना सारी समस्याओं के निदान के लिए यह सरकार कह देगी कि फेमिली प्लानिंग करो। लेकिन हम इसके खिलाफ हैं। सरकार को शीघ्र ही इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए।

15.32 hrs.

[Shri K. N. Tiwary in the Chair]

सभापति महोदय, आज के तारांकित प्रश्न संख्या 425 के उत्तर में प्रधान मंत्री की तरफ से यह उत्तर दिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए निर्देश पद में जो विषय निर्धारित किए गए थे उनमें से जो महत्वपूर्ण विषय या आयोग द्वारा अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने से पहले ही आयोग का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। वह महत्वपूर्ण विषय कृषि प्रशासन के सम्बन्ध में था। इस देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा उस विषय पर रिपोर्ट देने से पहले ही उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। नतीजा यह है कि इस देश में आज कृषि प्रशासन को लेकर एक अशांति पैदा हो रही है परन्तु यह सरकार उसका कोई निराकरण नहीं करना चाहती है। लोगों को कहीं तो प्रिबेंटिव डिटेंशन ऐक्ट और कहीं गुन्डा ऐक्ट में गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग कृषि प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे सकता था लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। इसलिए कृषि के सम्बन्ध में हम सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं इस देश में किस तरह से लोकतंत्र चलेगा? एक तरफ तो सरकार कहती है कि भूमि हबियाघो आन्दोलन गैर-कानूनी है लेकिन दूसरी तरफ

[श्री मोलहू प्रसाद]

प्रशासनिक सुधार आयोग को बिना उससे रिपोर्ट लिए ही समाप्त कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि सरकार कृषि में सुधार नहीं लाना चाहती है। मैं सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि कृषि प्रशासन में सुधार लाने के लिए फौरन एक कमीशन का गठन किया जाये जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो और कुछ विभिन्न राज्यों की हाईकोर्टों के जज हों। इस प्रकार से कुछ जजों का एक आयोग गठित किया जाये जोकि जल्द से जल्द कृषि प्रशासन में सुधार लाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे।

... (व्यवधान) ... प्रशासनिक सुधार आयोग को दिए गए निर्देश पद में कृषि प्रशासन का विषय शामिल था लेकिन उसने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और सरकार ने इस विषय पर कोई रिपोर्ट देने से पहले ही उसका कार्य-काल समाप्त करके इस विषय की उपेक्षा की है। नतीजा यह है कि आज भारत में इस विषय को लेकर चारों तरफ अशांति फैल रही है। जब आयोग ने सभी विषयों पर अपनी रिपोर्ट दे दी तो फिर कृषि प्रशासन को क्यों छोड़ दिया जिसको लेकर आज इतनी अशांति पैदा हो रही है और जगह-जगह पर भूमि हथियाओ आन्दोलन चल रहा है? इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत सरकार तत्काल कोई आयोग गठित करे तथा भूमि व्यवस्था में ग्राम-सचल परिवर्तन करे और परिवार के आधार पर भूमि की सीमा लागू करे तभी इस देश में शांति व्यवस्था रह सकती है नहीं तो एक तरफ लोग खाने बिना मरेंगे, कपड़े बिना मरेंगे, शिक्षा बिना मरेंगे और हर चीज के अभाव में मरेंगे और दूसरी तरफ देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करना मुश्किल हो जायेगा। कृषि से संबंधित जो मामला है वह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और आदिम जाति का मामला है। मैं आशा करता हूँ भारत सरकार शीघ्र से शीघ्र कृषि प्रशासन वाले मामले पर

आयोग गठित करेगी और भूमि व्यवस्था में सुधार लायेगी तथा भूमि की सीमा निर्धारित करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और सभी दलों से निवेदन करता हूँ कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस पर निर्णय करें। दूसरों को तो वे बड़े उपदेश देते रहते हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए लेकिन अब यह उनकी परीक्षा का समय आया है। मैं समझता हूँ आवादी के अनुपात में संरक्षण देने वाला जो विधेयक पेश है उस पर अक्षमति प्रकट करने का उनके पास कोई भी तर्क नहीं है न औचित्य है।

श्री प० ला० बाबूपाल (गंगानगर) : सभा पति महोदय, मेरे भाई श्री सूरज भान ने जो संविधान संशोधन विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वह समर्थन इसलिए करता हूँ कि हिन्दू समाज की कौसी विडम्बना है कि जिमने सदियों से इस समाज की सेवा की, देश की सेवा की, नंगे पैरों वालों को जूते बनाकर पहनाए, विना कपड़े वालों को कपड़ा बनाकर दिया, घोड़ियों ने कपड़ों के मूल को साफ किया भंगियों ने मल उठाया, उनकी कितनी श्रवहेलना की। जो गंदा करे वह तो अच्छा है और जो उस गन्दगी को साफ करे वह गंदा है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं और मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दू समाज ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया और क्या तोफा दिया और क्या पदम भूषण की पदवी दी कि हम को ढीठ, चण्डाल, चूड़ा और चमार कहा। आप देखें कि अगर कोई आदमी मिलिटरी में सर्विस करना है, तो वह सिपाही से नायक, सैननायक, जमादार, सूबेदार और मेजर कमान्डेंट और ब्रिगेडियर तक बन जाता है। इसी तरह से जो रेजवे में काम करता है तो एक साधारण सा आदमी तरक्की करने-करने ए०पी०ओ० डी० पी० और डी० एस०, मैनेजर और फिर चैंबरमेन तक बन जाता है, लेकिन आज तक हम लोगों को

कहाँ ले जाकर खड़ा किया है। अभी भी गांवों में जाकर भ्रान देखिये कि किस तरह का व्यवहार किया जाता है। मैं 19, 20 साल से पार्लियामेंट का मेम्बर हूँ और मैं इसको अनुभव करता हूँ। बाबू जगजीवन राम जी भी जब जाते हैं तो उनके पीठ पीछे लोग कहते हैं कि यह तो चमार है। इसलिए मुझे दुखी होकर कहना पड़ता है :—

कहकर हमें अद्वैत हृदय को और हमारे
दुखानो मत ।
चाह नहीं हम को ऐसी कुछ, हमारे हाथ
का साधो मत ॥
हम नहीं कहते हार बना लो, हम को
गले लगाओ मत ।
बेटी आदि का व्यवहार भी हमारे साथ
कराओ मत ॥
किन्तु सेवक तो हमको समझो, ए राम
कृष्ण अपने वालो ।
हिन्दू समाज के चरणों पर निज मस्तक
घरने वालो ॥
गैरों से तुम हाथ मिलाते, हमें अद्वैत
बताते हो ।
राम कृष्ण को गाली देते जिनको पास
बैठाते हो ॥
यों करके लावार हमें, तुम गैरो बीच
मिलाओगे ॥
यदि खो दोगे अद्वैतों को तो अपना काल
बुलाओगे ।
और पाकिस्तान तो बना दिया अब क्या
अद्वैतिस्तान बनाओगे ॥

तो मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि :

हिन्दुओं में अगर बेरुखाई न होती ।
तो भारत में आई तबाही न होती ॥
अगर प्यार दिल से अद्वैतों को करते ।
यह कौम तबाह ही न होती ॥
न कटा करके चोटी न बनते विघर्षी ।
मस्जिद में सुरती बनाई न होती ॥

अगर पाठ गीता का उनको पढ़ाते ।
तो कुरान बाइबिल की पढ़ाई न होती ॥
तो हिन्दुओं को तबाह किया इन सनातन
धर्मियों ने, इन जन सधियों ने (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : आप ही इनके उकेदार बने हुए हो। तुम्हें आज तक होश नहीं आया और 20 साल तक कुछ नहीं किया अब जो जन संघ की तरफ से यह आया है तो उस पर चपत लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री प० ला० बालूपाल : मैं आपको एक मौलिक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं आप से यह कहना चाहता हूँ कि 1950 में राजस्थान के अन्दर श्री हीरा लाल शास्त्री की सरकार थी और उस सरकार ने यह निश्चय किया कि संविधान के अनुसार अद्वैत जाति को, अनुसूचित जाति को और अनुसूचित प्रादिम जाति को संरक्षण दिया जाये। लेकिन हिन्दू समाज की यह फितरत थी कि जैसे कोई कर्ज ले लेता है वह फितरत थी कि जैसे कोई कर्ज ले लेता है बनिये से और उस कर्ज को लेने के बाद उसकी नियत खराब हो जाती है और वह उस कर्ज को देना नहीं चाहता तो वह कहता है कि इतनी घास उठा लो, इतने बेल ले जाओ और किसी न किसी तरह इसका फंसला कर लो। इसी तरह की बात हरिजनों के साथ की जाती है। अगर हिन्दू जाति चाहती है तो इसको हरिजनों का उत्थान ईमानदारी से करना चाहिये।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हीरालाल शास्त्री जी ने सुझाव मांगे कि राजस्थान में कौन-कौन सी जानियां हरिजनों की हैं जोकि सिड्यूल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी दस जातियां थी जैसे मेघ, मेघवन्शी, मेघबाब, बलाई बैरवा, भाभी, रमदासिये, चमार, ठीठ, ठीठ ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण को गोंडा कहते हैं, राजपूत को लेयड़ कहते हैं और जाट को हम मषा कह देते हैं, वे अपमानजनक शब्द हैं— लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारी कंबल दो

[श्री प० ला० बारूपाल]

जातियाँ ही अनुसूचित जातियों की सूची में आई थीर वे जातियाँ थी चमार और ढीठ ।

इसी प्रकार से नायक, थोरी, अहेड़ी और पारधी थे । उनमें से थोड़ी को अनुसूचित जातियों में रखा और बाकी को नहीं रखा । इसी तरह से घानकिया, घानुवा और घानकाः थे लेकिन उनमें से जो घानकिया थे उनको रखा और बाकी को नहीं । और मैं आप को बताऊँ कि हमारे यहां रेगर, जटिया और बोला में से जाटिया को अनुसूचित सूची में रखा और बाकी को नहीं । कहने का मतलब यह है कि इन बेईमानों ने हमारा पत्ता काट दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि अपने यहां से मैं और श्री मामचन्द जाटव ही चुनकर आए और आदिवासी एक ही था । इसी तरह से भंगी, मेहतर, मजहबी, बाल्मीक और चूड़ा थे । चूड़ा तो अब कोई नहीं लिखता है लेकिन बाल्मीकी तक को किसी सूची में नहीं रखा । इन बेईमानों ने कितनी बेईमानी की, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ । पार्लियामेंट में आकर हमने सूचियों में एमेंडमेंट दिया कि जो जातियाँ अनुसूचित जातियों की सूची में छपने से छूट गई हैं, उनको उसमें जोड़ा जाये । मैं ईमानदारी से कहता हूँ रोटी, बेटी और आपस में लेन देन का रिश्ता इन में रहता है और विवाह शादी होते हैं । जब हमने एमेंडमेंट पेश किया तो दोबारा सूची में कुछ जातियाँ शामिल की गई । इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी लोक सभा में दो की बजाए चार सीटें हो गई और राजस्थान में जो 16 सीटें थी, वे 32 हो गई ।

मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो सन 1952 में सिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं माने गये और 1957 में उनको सिड्यूल्ड कास्ट माना, तो पांच साल तक जिन जातियों के लड़कों को बजोर्गे नहीं मिले, पांच साल तक जिन गांवों में कोई कल्याणकारी साधन उपलब्ध नहीं हुए, पांच साल तक जिन जातियों के प्रतिनिधि नहीं

आये, ऐसे लोगों को जो आप ने पिछड़ा करके रखा है, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर ईमानदार है तो उनको बाद में वह संरक्षण दिया जाए । (व्यवधान) और जिनको सन् 1957 में सिड्यूल्ड कास्ट्स नहीं माना गया उनको 5 साल और दिये जाए और जिनको 1962 में भी सिड्यूल्ड कास्ट नहीं माना गया, उनको 10 साल और दिये जाएं । यही मेरा सुझाव है । मैं समान कल्याण मंत्री जी से भी कहा और फिर उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपना विशेष प्रतिनिधि मेरे पास भेजें और मेरे पास जो हरिजनों की डाक से चिट्ठियाँ आती हैं और बड़ी संख्या में मेरे पास वे आती हैं और वे चिल्लाते हैं कि ब्राह्मणों में हमारी जमीनें छीन ली हैं, हमारे कुएं छीन लिए हैं और जाट हम पर जुल्म कर रहे हैं और जहां देखा वहां जुल्म ही जुल्म है, इसको वे आकर देखें । यह बात जरूर है कि हम लोग पार्लियामेंट के मेम्बर बन गये और इससे हमारी डिगनिटी बड़ी है और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, लेकिन जो हमारा समाज है, उसके लिए आज तक—निल तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन गोरण यानी बिल्कुल कोई स्थान नहीं है—कुछ नहीं हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में एक मिगाल दूँ । बरफ की कुल्फी में बादाम, पिस्ता डाल कर उसके बीच में एक लकड़ी डाल देते हैं और उस कुल्फी को फ्रिजरी में तैयार करके उसके ऊपर का अच्छा हिस्सा तो चूस चूस कर दूसरे लोग खा जाते हैं और इन हरिजनों को भूठा नौका ही मिलता है जिसमें थोड़ा सा मिठास ही होता है इसलिए मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर यह जो मेरी भावना है और जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनको माना जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं जो विधेयक पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री. राम चरण (बुर्जा) : सभापति

महोदय, आज हमको परम पूज्य डा० वी० आर० अम्बेदकर याद आते हैं जिन्होंने इस देश में पोलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही थी। यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का समाज अनेक सालों से आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, बहुत गिरा हुआ रहा है। इसलिये उन्होंने संविधान में यह प्राविजन रक्खा था। लेकिन इस संविधान के अमल में आने के बाद हमने देखा कि सर्विसेज के अन्दर किसी भी कटेगरी में उनका कोटा पूरा नहीं हुआ। आज उनकी संख्या क्लास 1 में 2 फीसदी, क्लास 2 में 3 फीसदी और क्लास 3 के अन्दर 9 फीसदी है। जहाँ तक हमारी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी लिये डा० अम्बेदकर ने संविधान में यह प्रावधान किया और कहा कि अगर हम पोलिटिकल रिजर्वेशन का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, जो इस देश का उच्च वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, शोषण करने वाला वर्ग है, अगर हमें उसका संरक्षण मिलता रहा तो हम उन लोगों के बराबर आ जायेंगे। इसीलिए यह रिजर्वेशन यहाँ पर दो बार एक्स्टेंड किया गया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारा जितना उत्थान होना चाहिये था वह हो नहीं पाया।

यह बिल जो आया है इसी उद्देश्य से आया है। अगर इस बिल को पास कर दिया जाये और हम लोग पोलिटिकली थोड़ा सा ऐडवांस्ड हो जायें तो हमारा कोटा 12 से 15 फीसदी हो जाये। लेकिन यहाँ पर लोग सही दिल से नहीं चाहते कि हमारा कोटा पूरा हो। इसलिये इस बिल का समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में हमारे देश के निवासी और सरकार यह चाहते हैं कि इस देश का उत्थान हो तो उनको हमारे अधिकार हम को देने चाहियें। आज जो समाज का बीकर सेक्शन है अगर वह कमजोर रहा, तो जिस तरह से अच्छी तरह से खाना नहीं

मिला सारा शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह से उसकी दशा हो जायेगी। इस तरह से कभी भी देश की समस्यायें हल नहीं होंगी, यहाँ पर नक्सलाइट बढ़ते जायेंगे और ला एंड आर्डर सिधुएशन खराब होती चली जायेगी, कम्युनिज्म आता चला जायेगा। अगर आप सही ढंग से बीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसका एकानमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा देश भारत वर्ष लंगडा और लूला रह जायेगा।

हमारे मित्र श्री सूरज भान ने जो बिल रक्खा है, कांग्रेसी साथियों ने भी उसका समर्थन किया है, यह अक्लमन्दी की बात है। अगर कोई आदमी सारे दिन मेहनत करने के बाद पूरी मजदूरी मांगता है तो वह कोई गुनाह नहीं करता। अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी यह कहते हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको स्थान दिये जायें तो यह कोई गुनाह नहीं है, यह कोई नई चीज नहीं है। जितनी पापुलेशन हमारी है उसके आधार पर हम को सीटें मिलनी चाहियें और हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए। हमें कोई टाटा बिल्डिंग की फैक्ट्रियां नहीं चाहियें, हमें बड़े-बड़े फार्म नहीं चाहियें। हम केवल यह चाहते हैं कि हमें पोलिटिकल प्रोटेक्शन दे दिया जाए।

आखिर इस बिल की आवश्यकता क्यों हुई? हम देखते हैं कि जम्मू और काश्मीर के अन्दर अभी तक यह कांस्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ। वहाँ से कोई भी एम० पी० शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है। जम्मू और काश्मीर में 2 लाख 84 हजार, 171 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कोई सीट उनको नहीं मिली जबकि वहाँ पर एक लाख, 22 हजार, 326 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं। उनके अलावा वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग भी रहते हैं। जहाँ तक मणिपुर की बात है, वहाँ पर भी 13,376 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं

[श्री राम चरण]

श्री 2 लाख 49 हजार, 49 शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग रहते हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमने जो मांग रखी है वह इसी उद्देश्य से रखी है कि हम को आबादी के हिसाब से कम से कम सीटें मिलनी चाहियें। इसमें कोई नई बात नहीं है। यही डा० अम्बेदकर का उद्देश्य था। वह चाहते थे कि इस देश में जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, राजनीतिक विषमता है, वह दूर हो जाये। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस में कोई गलत बात नहीं है। श्री गूरज भान कोई और बात नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि चूँकि इस देश में हमारा बर्ग सामाजिक गुलामी की वजह से पिछड़ा रह गया इसलिए वह समानता के स्तर पर आ जाए। श्री गूरज भान की यह मंशा नहीं है कि यह बिल यहां पर रखने के कारण उनका नाम रोशन हो जाये। वह चाहते हैं कि जो वीकर सेक्शन है कम से कम उसको आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब हम को रिजर्वेशन दिया गया है तब हमारा कोटा सर्विसेज में पूरा होना चाहिये। माननीय मंत्री को आज मैं यह भी सुभाव देना चाहता हूँ कि वह इस बात का पूरा ध्यान रखें कि शेड्यूल्ड कास्ट्स को पूरा संरक्षण मिले और उन का कोटा पूरा किया जाये। अगर दस सालों के भीतर इन वर्गों का सोशल और एकानामिक डेवेलपमेंट नहीं होता तो मुमकिन है कि इसमें 10 या 50 साल और लग जायें और तब तक उनको 100 प्रतिशत रिप्रेजेंटेशन का रिजर्वेशन देना होगा।

आज सर्विसेज का कोटा हर सूरत से पूरा किया जाना चाहिये। अगर गवर्नमेंट को इस के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन भी बोल्ट करना पड़े तो वह भी करना चाहिए और उनके लिये स्पेशल ट्रेनिंग क्लास भी खोलना पड़े तब वह भी करना चाहिये ताकि क्लास 1 और क्लास

2 सर्विसेज में उनका कोटा पूरा हो सके। आज शेड्यूल्ड कास्ट्स के 4 लाख लड़के हाई स्कूल और उससे ज्यादा पास बेकार पड़े हुए हैं। अगर सरकार की नियत साफ है तो उन को काम दिया जाना चाहिये। मैं अपने सुरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम से भी कहना चाहता हूँ कि वह मिलिट्री में भी इन वर्गों के लिये रिजर्वेशन करायें।

मैं कहना चाहता कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और शेड्यूल्ड कास्ट्स की समस्या एक गंभीर समस्या है। उनके एकानामिकल डेवेलपमेंट के लिये सरकार को एक फाइनेंस कारपोरेशन सेट अप करना चाहिये और इस मुल्क में जितने टैक्सपेअर हैं, जितने गवर्नर हैं...

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तध्या) : बिल पर बोलिये।

श्री राम चरण : मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितनी हम लोगों की आबादी है उसके हिसाब से सीटें दी जायें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। हमारे आर्थिक सवाल को हल करने के लिये और पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिये हमको पोलिटिकल रिजर्वेशन देना आवश्यक होगा। हम को अमेनिटीज दी जानी चाहिये और हमारा एकानामिक डेवेलपमेंट किया जाना चाहिये। हमारे मिनिस्टर ज्यादा हों, हमारे अम्बेसेडर ज्यादा हों, गवर्नर ज्यादा हों, हमारा प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट भी हों। इस लिए हमारा परसेंटेज आऊ रिजर्वेशन आबादी के हिसाब से होना चाहिये। इससे हमारे देश का भी भला होगा और जो अशांति यहां फैलने वाली है वह भी खत्म हो जायेगी। अगर हमारा एकानामिक डेवेलपमेंट ठीक से नहीं होता है मुमकिन है कि हमारे नक्सलाइट और ज्यादा हो जायें। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस बिल का समर्थन करे। साथ

ही इस बिल में हम ने यह मांग भी की है कि इस बिल को जम्मू और काश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में भी लागू किया जाये, साथ ही दूसरी यूनिवर्सल टेरिटरीज में भी लागू किया जाये। इस तरह से हमारे एम एल ए एम पी ज्यादा आ सकते हैं। हमने कोई आप की कुर्सी छीनने के लिये यह मांग नहीं रखी है।

श्री हनुमन्तध्या : आप कहिये कि 75 फीसदी सीटें हौनी चाहिये।

श्री राम चरण : आप अगर दे सकते हैं तो हमको 75 फीसदी सीटें ही दीजिये। मंत्री जी और उनके साथी इस बिल का समर्थन करें क्योंकि यह किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। यह इस देश की बढ़ती हुई विषमता को रोकने के लिये है। आज देश में करोड़ों आदिमियों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण हो रहा है। इसलिये यह बिल बेश के हित के लिये लाया गया है और इसको सरकार को मान लेना चाहिए। आज जिन लोगों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है वह रूके। जो शोषित वर्ग हैं अगर उनका पोलिटिकल सोशल और एकानामिक शोषण नहीं रुका तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। यह बिल इस लिए लाया गया है कि उन लोगों को शोषण से नजात मिल सके। इसमें सभी लोगों की भलाई है और अगर सब लोग इस में सहयोग दें तो इससे देश का भी हित होगा।

इस प्रकार हमारे कांस्टीट्यूशन के मेकर बाबा साहब डॉ० अम्बेदकर, का स्वप्न पूरा हो सकता है।

जैसा कि मैंने कहा है, इस बिल का मकसद सिर्फ यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को उनकी आबादी के हिसाब से सीट्स मिलें, उससे कम नहीं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ।

श्री रणधीर सिंह : सभापति महोदय,

मैं इस बिल पर पहले बोल चुका हूँ। मैं सिर्फ एक पायंट आपकी इजाजत से और अपने भाइयों की इजाजत से और कहना चाहता हूँ। मैं आप का बड़ा मशकूर हूँ कि आप ने मुझे यह टाइम दिया।

यह बहुत सिम्पल सी बात है। स्वाह-म-स्वाह राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि मिनिस्टर साहब को यह बात मानने में क्या एतराज है।

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba) : The Hon. Member has spoken on this Bill once. Why should he speak again ?

श्री रणधीर सिंह : मैं सिर्फ एक पायंट ऐड कर रहा हूँ, जो कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर है। मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ।

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : चेयरमैन साहब, यह तो ठीक नहीं है कि एक मेम्बर को इस बिल पर दो दफा बोलने का मौका दिया जाये। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपना बिल पेश करने के लिए वक्त मिल जाये।

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Sir, is this an attempt to unnecessarily prolong the Debate ?

श्री रणधीर सिंह : मैं तो सिर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर एक पायंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं कोई दोबारा स्पीच नहीं दे रहा हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि श्री सूरज भान का बिल इतना सादा सा बिल है कि इस पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर उन के बिल का मकसद यह है कि देश में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जितनी आबादी है, उसी के हिसाब से पार्लियामेंट, विधान सभाओं और विधान परिषदों में उनकी सीटें मुकर्रर कर दी जायें। यह तो "दो और दो चार" वाली बात है।

[श्री रणधीर सिंह]

मैं समझता हूँ कि श्री सूरज भान की मांग पर कोई एतराज नहीं किया जा सकता है। मिनिस्टर साहब को भी इस को मानने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। मैं नहीं समझता कि इलैक्शन कमिश्नर इसमें अड़ंगा क्यों डालें।

16 hrs.

सारा हाउस इस बात से सहमत है। मेरे ख्याल में सारा देश भी सहमत है। इस की मुखालिफत का कोई सवाल नहीं हो सकता है। जिन गरीब भाईयों पर हजारों साल से कुल्हाड़ा चल रहा है अगर उन की एक-आध सीट बढ़ जाये, तो उस पर खुशी होनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है और हमें इसको पूरा करना चाहिए।

मैं इस बिल की स्पिरिट की ताईद करता हूँ। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि वह इस बिल की स्पिरिट को एकसेप्ट कर लें और श्री सूरज भान और मुस्तलिफ पार्टियों के नुमायदों को बुला कर इस बिल के मंशा को इम्प्लीमेंट करने का तरीका निकालें। हो सकता है कि श्री सूरज भान उस से मुत्तफिक हो कर अपना बिल वापस ले लें। मैं समझता हूँ कि श्री सूरज भान की बात मान लेनी चाहिए और मैं उन के बिल की पुरजोर ताईद करता हूँ।

श्री बि० प्र० मण्डल (मधेपुरा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ। माननीय सदस्य, श्री सूरज भान इस बिल के द्वारा सिर्फ इतना चाहते हैं कि कास्टीट्यूशन के आर्टिकल 330 में " एज नीयरली एज मे बी, दि सेम प्रोपोर्शन" के स्थान पर " ए प्रोपोर्शन नाट लैस दैन" रख दिया जाये। उन्होंने अपने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्स में बताया है कि मौजूदा फ्रजालोजी के कारण शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सीटें कम निर्धारित की जाती हैं। अगर

माननीय सदस्य यह भी बता देते कि उन के बिल को मान लेने से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की सीटें कितनी बढ़ जायेंगी, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अगर थोड़ी बहुत सीटें बढ़ जायें, तो किसी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए।

तेईस वर्ष की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान में आदमी और आदमी में, एक सिटिजन और दूसरे सिटिजन में इतना बड़ा गैप है कि हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। आज हम लैंड ग्रैव मूवमेंट की बहुत बात सुनते हैं। अच्छी बात है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता कि हिन्दुस्तान से जात-पांत को हटाने के लिए उस पैमाने पर कोई मूवमेंट शुरू नहीं हुई है। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों को दो, चार, पांच छः सीटें ज्यादा दे देने से भी उनकी दशा में कोई सुधार नहीं होने जा रहा है। हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलने के बाद तेईस बरस से जो सरकार गद्दी पर बरकरार हैं, उस को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे, जिस से इस देश से जात पांत मिट जाती। कैबिनेट में एक दो सीटें हरिजनों को दे कर इन लोगों ने समझ लिया कि हम अब पाक साफ हो गये।

यह दुःख की बात है कि हरिजनों और आदिवासियों को रिजर्वेशन उस की जनसंख्या के अनुपात से नहीं मिलता है। इस देश में कुछ पाचुनेट जातियां ऐसी हैं, जिन की आबादी सिर्फ दो परसेंट है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी नौकरियों में सत्तर परसेंट जगहें लिये हुए हैं। मैं ने इस सदन में एक बार कहा था कि दो तीन परसेंट जनसंख्या वाली जो जातियां साठ सत्तर परसेंट जगहें हथियाए हुए हैं, ग्रैब किये हुए हैं, अगर उनके लिए 5 प्रतिशत जगहें सुरक्षित कर बाकी जगहें उन से छुड़ाली जायें तो अच्छा हो। उन जगहों को डिग्री कर देने के लिए देश में कोई मूवमेंट

होती, तो वह एक माकूल मूवमेंट होती। लेकिन खेद है कि हिन्दुस्तान की किसी पोलिटिकल पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं गया है। क्यों कि वही दो और तीन परसेंट जाति के आदमी हिन्दुस्तान की हर एक पोलिटिकल पार्टी के भी नेता बने हुए हैं। इसलिए समय का तकाजा है कि हमारे जो हरिजन भाई हैं, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई हैं उनको यह देने में तो जरा भी आप को एतराज नहीं होना चाहिए। बल्कि आप को चाहिए कि जैसा कि डा० राम मनोहर लोहिया ने फरमाया था नौकरी में कम से कम 60 फिसदी जगह समाज के पिछड़े हुए ग्रंथ के लिए आपको रिजर्व करनी चाहिए। कितने लोग कहेंगे कि यह लोग काम करना नहीं जानते। तो अगर किसी को आप नदी में जाने ही नहीं दीजिए और कहिए कि तुम डूब जाओगे तो यह कहाँ का इंसफ है? पहले कोई आदमी नदी में जायेगा, तैरना सीखेगा तब तो वह तैर सकेगा। गांधी जी की बात भी इस सदन में आई। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान में रीग्रल स्वराज्य उस दिन होगा जिस दिन हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति कोई हरिजन लड़की होगी। तो समय का तकाजा तो यह है और यहां क्या देखते हैं कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का प्रधान मन्त्री सब एक ही जाति के लोग हो जाते हैं जिन की आबादी दो प्रतिशत है। तो मैं कहना चाहता हूँ समय का तकाजा है, इन बातों से अब काम नहीं चलेगा। कोई स्ट्रिजेंट स्टेप्प आप को लेने चाहिए और कानून बनाना चाहिए इस किस्म का कि जाति पांति जिस से खत्म हो सके। मैं कहूंगा इंटर-कास्ट-मैरिज की बात कि मिनिस्ट्री में उन्हीं लोगों को लिया जाय जो कि अपने लड़के की ही नहीं, लड़की की भी शादी किसी हरिजन जाति या छोटी जाति के लोगों से करें। नौकरी में उन्हीं आदमियों को लिया जाय जो आदमी कि अपनी शादी या लड़के की शादी या खाम कर, लड़की की भी शादी हरिजन से

और छोटी जाति से करें क्यों कि बहुत दिनों से हिन्दुस्तान का यह सौशल एक्सप्लायटेशन जो है जो दुनियां के और सब देशों से बेमिसाल है, और देशों से दूसरे किस्म का एक्सप्लायटेशन यहां है, और देशों में एकोनामिक एक्सप्लायटेशन होता है, यहां सौशल एक्सप्लायटेशन होता है, अगर इस को हम अपने देश से खत्म नहीं करेंगे तो कभी भी हम फर्स्ट ग्रेड नेशन नहीं बन सकते हिन्दुस्तान का इतिहास बता रहा है, हिन्दुस्थान के कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण यही रहा, इस देश में जो नेशनल इटीप्रेशन नहीं हुआ इस का कारण यह हुआ कि हम जाति पांति में बंटे हुए थे। दुश्मन आते थे तो किसी खास जाति का काम होता था लड़ाई करना और बाकी 60-70-80 प्रतिशत आदमी घर में बंटे रहते थे। तो यह समय का तकाजा है, इस देश से जाति पांति को दूर करना चाहिए। इसलिए यह रिजर्वेशन तो देना ही चाहिए। साथ साथ इतना ही देने से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा स्टेप लेना जरूरी है, लाजिमी है जिस से अपने देश में हम जाति पांति को खत्म कर सकें। जाति पांति जब तक हमारे देश में रहेगी तब तक हमारा देश सबल नहीं बन सकेगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। माननीय जगजीवन राम जी यहां डिफेंस मिनिस्टर हैं। हम को दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट के आदमियों को भी रेस्पॉसिबिलिटी मिलती है तो वह भी शेड्यूल्ड कास्ट हरिजन और बैकवर्ड आदि के प्रति जो उन को बफादारी करनी चाहिए वह भूल जाते हैं। उस दिन की बात है सदन में एक बात आई कि फौज में जो जातियों के नाम पर रेजिमेंट हैं जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, यह ठीक नहीं है। या तो इनको हटा दीजिये, नहीं तो और जातियां भी हैं, एक जाति का नाम मैंने बताया अहीर जाति, यादव जाति जो बहुत ज्यादा संख्या में है, मार्शल रेस

[वि प्र० मण्डल]

में जिनकी गिनती होती है और जिनकी तरफ से यह तकाजा था कि एक यादव रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए, तो इस पर उनके कान पर जूँ नहीं रेंगी और मुझे मालूम हुआ कि जब से यह डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं जाति के नाम पर उन्होंने एक नागा रेजिमेंट भी बनाया। तो हरिजन भाई भी जो गद्दी पर जाते हैं उनको भी हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति जो करना चाहिए वह नहीं करते, यह दुख की बात है। वह समझते हैं कि किसी तरह से हम पावर में आ गये, काफी हो गया। तो इससे काम नहीं चलेगा। किसी एक हरिजन आदमी को हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देने से भी काम नहीं चलेगा। इसकी जड़ में जो बीमारी है जाति पांत की, जाति पांत के नाम में जो यहां एक्सप्लायटेशन होता है उसको समाप्त करना है। एक माननीय सदस्या कह रही थी बड़े दुख की बात है कि इस देश में जाति के नाम पर लोगों को पाखाना साफ करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब कभी कोई मर जाता है या श्राद्ध होता है या शादी विवाह होते हैं तो भोज होता है और उसमें जो जूठी पत्तलें होती हैं उन पर एक तरफ से कुत्ते दौड़ते हैं एक तरफ से गरीब बेचारे भंगी दौड़ते हैं। तो इस देश में 22-23 वर्ष तक स्वराज्य आने के बाद भी आदमी को कुत्ते के साथ जूठी पत्तल के लिए छीना झपटी करनी पड़े यह दुख की बात है। तो लाजिमी है इस देश के कर्ता घर्ता के लिए, इस देश में जो भी अपने को सोशलिस्ट कहने का दावा करते हैं, उन के लिए लाजिमी है कि लोग इस दिशा में कदम उठाएं और वह लोग देखें इस बात को कि हिन्दुस्तान में जब तक जाति पांत की बीमारी रहेगी तब तक कभी भी समाजवाद नहीं हो सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि हरिजनों के अलावा और भी जातियां इस देश में हैं। एक जाति तेली जाति है। हरिजन की तो देह छूने से लोग कहते हैं कि देह अपवित्र हो गई पर तेली को तो देखने से कहते हैं अशुभ

हो गया और नहीं तो दांत दिखा दे। इतना ही नहीं कोई अमीर आदमी भी अगर तेली है तो उससे भी लोग घृणा करते हैं। तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का प्राबलम नहीं है। बैंकवर्ड लोगों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों का भी प्राबलम है जिनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और सरकार का ध्यान उस तरह भी जाना चाहिए। यह केवल एक जाति का उदाहरण मैंने दिया तेली जाति का। ऐसी अनेक जातियां इस देश में हैं।

इस देश में आप समाजवाद की बात करते हैं, लेंड-ग्रेविंग और डी-ग्रेविंग की बात करते हैं, बैंक नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि नेशनलाइज्ड बैंक से किसे पैसा मिलता है? हम गांवों से आते हैं जानते हैं। बड़े-बड़े किसानों को ट्रेक्टर में जरूर भर दिया गया है। लेकिन रिक्शा चलाने वाले को बैंक लोन नहीं देता है। गरीब भंगी को बैंक लोन नहीं देती है। और यह रिक्शा कौन जाति के लोग चलाते हैं? चल कर पूछिये। सैकड़ों में 98 चाहे भंगी हैं चाहे पिछड़ी जाति के होते हैं जो आदमी होकर इन्सान हो कर घोड़े का काम करते हैं। तो इस देश में यह सब झूठी बात है। समाजवाद की बात आप करते हैं। यह सब ढोंग है। जब तक इस देश में इस चीज को समाप्त करने के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाते, जब तक इस देश से जाति पांत नहीं उठेगी तब तक किसी भी किस्म का सोशलिज्म इस देश में नहीं होगा, वह खोखला रहेगा। 80 वर्ष का बुढ़ा छोटी जाति का है तो दस वर्ष का लड़का भी अगर ब्राह्मण का होता है तो उसको वह भुक्त कर प्रणाम करता है और वह कहता है कि आशीर्वाद, चिरंजीव रहो। यह मैंने देखा है। तो यह जो 5 हजार वर्ष तक उन को दबाया गया, मनुस्मृति में कहा गया कि सूद के काम में यदि वेद का मंत्र भूल से भी पड़ जाय तो सीसे को घोल कर उसके कान में डाल देना चाहिए, तो पांच हजार वर्षों से जिन को

घापने पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, स्कूल में ऐडमीशन नहीं लेने दिया उन लोगों को प्रायः प्राय कहते हैं कि हम ईक्वल अपारचुनिटी देते हैं यह बिल्कुल गलत बात है। होता क्या है? एक माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि पढ़ने लिखने में हरिजन जाति का लड़का तेज नहीं होता है, गरीब गांव वालों को लड़का कैसे तेज होगा? वह उस स्कूल में पढ़ता है जिसके ऊपर छप्पर भी नहीं है, जिसकी दीवार टूटी हुई है और बड़े-बड़े नेताओं के लड़के कहीं पढ़ते हैं? देहरादून, सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जान स्कूल में पढ़ते हैं तो यह ईक्वल अपारचुनिटी का ढोंग है। होना तो यह चाहिए था कि कम से कम प्राइमरी एजुकेशन जो हो उसमें चाहे वह प्रेसिडेंट का लड़का हो चाहे गरीब का लड़का हो, उस को एक बराबर अपारचुनिटी मिलनी चाहिए, एक रंग के स्कूल में पढ़ना चाहिए।

इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिल को फौरन से पेशतर मान लें। लेकिन इतना मान लेने से ही हरिजनों का मुद्दा नहीं होगा, इस के लिए हम को जात-पात की जड़ को मिटाना होगा और जिस गद्दी पर आप सैंकड़ा में 80 बैठे हुए हैं, उनमें 5 हरिजनों को बैठाना होगा।...

श्री अब्दुल गनी वार : मंडल साहब, आप खफ़ा हो रहे हैं, लेकिन जात-पात का भगड़ा अब कहां है। पहले पारसी और बिरला कार बनाते थे, अब मंजय गांधी बनायेगा, अब तो यह भगड़ा ही नहीं है, ब्राह्मण और बिरसा एक हो गये हैं।

श्री वि० प्र० मंडल : यह ठीक है कि जात-पात का भगड़ा अब हिन्दुस्तान के राज्यों में मिटने लगा है, बिहार में मिटा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां कोई पिछड़े वर्ग का मुख्य मंत्री हो सकता है, लेकिन अब वहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि पिछड़े वर्ग का आदमी ही मुख्य मंत्री हो सकता है। वह दिन

भी आने वाला है जब इस गद्दी पर जहां प्रधान मंत्री बैठी हुई हैं, सैंकड़ा में 90 आदमी बैठें होंगे जिनको 10 हजार या 5 हजार साल से दबाया गया है, एक के बाद दूसरे वही लोग हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री होंगे। एडवर्ट-फ्रैंचाइज की यही करामात है और यह होकर रहेगी। लेकिन ऐसा न हो कि जब उनकी बारी आये, तो वे आप से बदले लें, इसलिए आप बोलेटेरिली जो उनके अधिकार हैं, धीरे-धीरे उनको दें। यहां पर नारा लगाने से हम सोशलिस्ट नहीं हो जाते, जब तक हिन्दुस्तान से जात-पात को नहीं मिटायेगे समाजवाद नहीं आ सकता। मैं फिर कहता हूँ दुनिया के दूसरे देशों में सिर्फ इकानामिक एक्सप्लायटेशन है, लेकिन हमारे देश में डबल-एक्सप्लायटेशन चल रहा है—सोशल एक्सप्लायटेशन और साथ ही साथ इकानामिक एक्सप्लायटेशन। इसलिए मैं आप से कहूंगा कि इस बिल को फौरन से पेशतर मान लें और हिन्दुस्तान से जात-पात दूर करने के लिए एक जबरदस्त कदम उठाये, एक कैंपेन शुरू करें। जय हिन्द।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : This is a Bill which, I think, must be accepted by the whole House without any controversy. The Reports of the Scheduled Castes Commissioner were under discussion and that will continue. In this House previously only one Member was elected from the general seat but during last general election not a single Member has been elected from the general seat from either the Scheduled Castes or Tribe. This indicates that there has not been real integration after so many years. It also depend upon service but all parties taken together have not yet succeeded in thinking that half a dozen or one dozen more seats should go to them and they should get themselves elected from the general seats to the Lok Sabha. In certain States the legislative Councils are also there. In the legislative councils the seats that are being given to them are much less than their due number. Similar is the case in the Rajya Sabha. There are hardly. (An Hon. Member.. Five)...I accept that. Of 523 Members in the Lok Sabha not one has been elected from the general seat. In

{Shri Ram Subhag Singh}

the Rajya Sabha there are about 225 Members.

The number is so microscopic that it does not constitute even 15 per cent of the population. So is the case in all the Legislative Councils, taken together. This justifies the demand made in this Bill, that there should be a constitutional amendment. I appreciate the efforts of Shri Suraj Bhan that he has taken the trouble of moving this amending Bill and asking for the amendment of articles 330 and 332 of the Constitution.

The demand is very simple. He does not want more than their due. So far the fractional margin of their population is altogether ignored. He simply wants through this Bill that that should not be ignored with a view to putting them to disadvantage. He wants that their just share should be given. I think this is the time, when the Gandhi Centenary Year is celebrated, that this Bill is also passed without any hesitation. This request must be accepted.

I also support what Mr. Mandal says about the caste and community and religious differences. Efforts should be made to see that they disappear because without ending those differences there would not be real progress in this country.

With these few words, I support the bill.

श्री तुलसी दास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सूरज भान जी ने जो बिल रखा है, यदि उसका उद्देश्य देखा जाय और उस के बर्दोज़ को देखा जाय, तो यह बहुत स्वागत योग्य बिल है। अच्छा तो यह होता कि जिन लोगों ने अपनी जगह बढ़ाने की माग की है, उनके बजाय दूसरी जमायतों के लोग इस बिल को यहाँ पर पेश करते, फिर भी उन्होंने इस बिल को यहाँ पर पेश करके एक बहुत अच्छा काम किया है।

जहाँ तक मैं इनकी पौपुलेशन को देखता हूँ—1961 के सेन्सस के मुताबिक इन की जनसंख्या करीब 10 करोड़ है, लेकिन यह कम दिखलाई हुई है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कई ऐसे एरियाज़ हैं जिनको इनके साथ दाखिल करना

था, लेकिन नहीं किया गया—मैं आप के सामने यह पढ़कर सुनाता हूँ :

“Many tribals are deprived of the benefits on account of their being scheduled under the Fifth Schedule of the Constitution. On this ground, one-third of the population of the tribals has been deprived of the facilities. A Bill for amendment is pending before the House. On account of this Bill, the area will be increased and the population of these people will be increased also.”

अगर इनको भी जोड़ लिया जाय तो इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। यह संख्या 1961 की है, लेकिन अब जो 1972 में इलैक्शन होगा और उनके पहले जो सेन्सस होगा, उसमें भी इनकी संख्या काफी बढ़ेगी, क्योंकि हर साल यदि 20 लाख बढ़े तो दस साल में 2 करोड़ पौपुलेशन तो बढ़नी ही चाहिए, इसका अर्थ यह है कि 20 लाख पर हर साल 2 सीटें बढ़ती हैं इस तरह से 10 साल में 20 सीटें ज्यादा होनी चाहियें—यह मैं केवल लोक सभा के लिए बता रहा हूँ। इस समय लोक सभा में इनके लिए 114 सीटें हैं तो 1972 में 20 सीटें और ज्यादा बढ़ जायेगी। मैंने जो कैलकुलेशन किया है, हो सकता है कि गलत हो, आक्सिस इसको कैलकुलेट करेगा।

इसका मतलब यह है कि अगर पापुलेशन बेसिस पर देखा जाये तो उनको ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी और उनके ज्यादा लोग चुनकर आयेगे। जहाँ तक उनकी ग्रीवान्सेज का सवाल है, वैसे तो सभी लोग उनको रखने की बात करते हैं लेकिन इस देश में जैसा कि अभी तक देखने में आता है, अपने को हिन्दू धर्म का कहलाने वाले लोगों की तरफ से तो वह बात होती नहीं है। इसलिए अगर उनके ही रिप्रेजेंटेटिव अपना दुख और अपनी ग्रीवान्सेज रखते हैं तो वह ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उन्होंने स्वयं उस दुख को भोगा हुआ है। बाबा साहब डा० अम्बेडकर वैसे तो किसी स्वराज्य मूवमेंट में नहीं थे लेकिन स्वराज्य

प्राप्ति के बाद संविधान बनाने के लिए उनको बुलाना पड़ा। सभापति जी, जैसे कोई जमीन होती है, वह बहुत दिनों तक बेकार पड़ी रहती है, उसको पानी नहीं मिलता, जैसे जंगल में उसपर भाड़ और पेड़ पंदा हो जाते हैं और उस पर कोई अनाज पंदा नहीं होता लेकिन जब कभी उस जमीन की सफाई होती है और वह खेती के इस्तेमाल में आती है तो उसपर बम्पर हावैस्ट होता है। वही बात इन हरिजनों पर भी लागू होती है कि हजारों वर्षों से उनको किसी तरह की कोई फौसिलिटीज नहीं दी गई, उनको कोई चान्स नहीं दिए गए लेकिन अब अगर उनको कोई माँका मिलता है तो जैसा मैंने कहा कि बेकार पड़ी हुई जमीन पर बम्पर हावैस्ट होता है, अत्यधिक उत्पादन होता है उसी की मिसाल डा० अम्बेडकर थे। ऐसी स्थिति में पाल्यामेंट और असेम्बलीज में उनको अधिक संख्या में लाने की बड़ी आवश्यकता है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश, यू० पी० महाराष्ट्र, आंध्र में हरिजनों के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है—किसी को तो जला ही दिया गया। मध्य प्रदेश की माननीया सदस्या मिनिमाता जी ने यहाँ पर अपनी ग्रीवांस को रखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह का अन्याय हरिजनों के साथ होता है लेकिन दूसरे माननीय सदस्यों ने उस बात को यहाँ पर नहीं रखा। इसके माने यही है लोग अपनी जमाअत के बाहर क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए इस देश में इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो।

गांधी जी ने सन 1939 में एरावदा जेल में जब उपवास किया था, उस वक्त मैं भी वहाँ पर था, लेकिन बाबा साहब डा० अम्बेडकर का कहना यह था कि हमारा गांधी जी से कोई भगड़ा नहीं है और न दूसरों से ही कोई भगड़ा है परन्तु जो सच्चा हिन्दू धर्म था वह तो चला गया, उसका झूठा अवशेष और बाहर का

दिखावा रह गया है जिसमें कि एक इन्सान के साथ इन्सानियत का बर्ताव किया जाता है। बल्कि उसके साथ जानवर से भी बदतर बर्ताव किया जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगा—चाहे कोई बुरा ही क्यों न माने—कि डा० अम्बेडकर ने जाते-जाते इन लोगों को एक नया रास्ता दिखलाया ताकि हिन्दू धर्म के नाम पर चलने वाले जो गलत रीति रिवाज हैं, उस गन्दी हवा से वह बाहर निकल सकें। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि अपने को हिन्दू धर्म का कहने वाले जो लोग हैं उनका यह फज्र हो जाता है कि हमेशा इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहें ताकि जो उनकी एकोनामिक कन्डीशन का मसला है पानी का मसला है, मकान का मसला है—वे सारे मसले हल हो जायें। आज अगर इन लोगों की ये सारी समस्यायें सुलभ गई होतीं तो आज उनकी तरफ से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मांगने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए आज उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने की बड़ी आवश्यकता है। उनकी यही मांग है कि पार्लमेंट में और असेम्बलीज में पापुलेशन के आधार पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाये।

दूसरे ये लोग सर्विसेज में घसना रिप्रेजेंटेशन पापुलेशन के आधार पर मांगते हैं। यह एक रिपोर्ट है—

Report of the Committee on Untouchability. Economic and Educational development of Scheduled Castes and connected Document 1969.

इसको आप पढ़ें। इसके अलावा शेड्यूलड कास्ट्स एण्ड शेड्यूलड ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्टें हैं, उनको पढ़ें तो आप देखेंगे कि कहीं भी पापुलेशन की बेसिस पर उनको सर्विसिज में जगहें नहीं मिलती हैं। सर्विसिज के जो हेड होते हैं वह अपने तरीके से रेकूटमेंट करते हैं जिसमें उनको जगहें नहीं मिल पाती हैं। इस लिए वहाँ पर भी इनको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए—यह मेरा कहना है।

[श्री तुनसी दास जाधव]

सभापति जी, इन लोगों के साथ इस देश में किस प्रकार से अन्याय होता है उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ वैसे तो रोजाना उनके साथ जैसा बर्ताव होता है उसपर बहुत से भाई यहाँ पर बोल चुके हैं— मैं उसका और ज्यादा वर्णन यहाँ पर नहीं करना चाहता। केवल दो चार उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जुल्म करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। आज भी गुजरात के मेहसाना कच्छ, राजकोट, जामनगर इत्यादि स्थानों पर भंगी को नजदीक नहीं आने देते। श्मशान भूमि में भी उनको नहीं आने देते। नाई उनकी हजामत नहीं करता। कोई कर्मचारी होटल में चला जाये तो उसको मारते हैं। गाँवों में उनको बाजा बजाने की भी मनाही है। औरतें होटल में चली जायें तो उनको दण्डित करते हैं। एक औरत होटल में चली गई तो उसको मारा पीटा गया। यह सारी दुर्दशा तो गुजरात के अन्दर चल रही है। मध्य प्रदेश में भी वही बात है। अर्नामिंटस और मूख दाढ़ी रखने की मनाही है। हरिजन शिक्षक को कुर्सी पर बैठने की मनाही है। शादी में हरिजनों को अम्ब्रेला पकड़ने की मनाही है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में एक औरत को नंगा करके मारा गया। राजस्थान में वकीलों का जो बार एसोसिएशन है वहाँ पर हरिजनों को पानी पीने की मनाही है। पाट पर बैठने की भी उनको मनाही है। किसी एम०एल०ए० ने इस अन्याय के विरुद्ध कुछ आवाज उठाई तो उसके एक भाई को मार दिया, गोली से खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक हरिजन लड़के ने अपने कम में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई तो उस लड़के को बाहर डालकर मारा गया और वह तस्वीर तोड़ डाली गयी। और ज्यादा उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, रिपोर्ट में वह लिखी हुई है। कहने का मतलब यह कि इन्सानों जैसा कोई बर्ताव उनके साथ नहीं किया जाता है। कुत्ते बिल्ली के बच्चे को भी

बचपन में लोग दूध पिलाते हैं लेकिन हरिजन का बच्चा अगर कहीं नजर आ जाये तो लोग स्नान करते हैं साबुन से या गरम पानी से या नदी में डूब कर। गांधी जी के जाने के 20 सालों के बाद भी आज इस देश के हर प्रान्त में हर जगह पर उनके साथ यही अन्याय हो रहा है। इसके माने हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों का बोलना और अपनी माँगों को रखना बिलकुल सही है। उन्होंने अगर सौ जगहें मांगी हों तो उनको उससे भी ज्यादा देने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं अपने ऊपर होने वाले अत्याचार और एक्सप्लायटेशन को समाप्त कर सकें। गांधी जी का आदर्श हम अपने सामने रखते हैं लेकिन उन्होंने अन्टचैबिलिटी के लिए कहा है :

“What I want, what I am living for, and what I should delight in dying for is the eradication of untouchability root and branch.”

प्राखीर में वे क्या कहते हैं :

“I do not want to be reborn. But if I have to be reborn, I should be born an untouchable, so that I may share their sorrows, sufferings, and the affronts levelled at them, in order that I may endeavour to free myself and them from that miserable condition. I, therefore, pray that if I should be born again, I should do so not as a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Shudra but as an Atishudra.”

इसके माइने क्या हैं ? इसके माइने यह है, मेरी एक बिनती है जनसंघ के भाइयों से कि वे बुरा न मानें और वे गुस्सा न हों...

श्री सूरजभान (अम्बाला) : मैं भी जन संघ का हूँ ?

श्री तुनसी दास जाधव : यह तो ठीक है कि हमारे सूरजभान जी उसी पार्टी में हैं लेकिन उनका जो रवैया है वह एक सिड्युंड कास्ट के व्यक्ति का है। वे गरीब समाज के हैं, इसलिए उनके दिल में दर्द है।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : आपके ही दिल में दर्द है, और किसी के दिल में दर्द नहीं ? ... (व्यवधान)

श्री तुलसी दास जाधव : मैं यह क्यों कहता हूँ। आप लोग बुरा न मानें। हम गाय की पूजा करते हो, हम धर्म के नाम पर कुछ करते हो, हम देवों के नाम पर कुछ करते हो, लेकिन ये जो तुम्हारे भाई हैं, उनके लिए कुछ नहीं करते। यह जो आदत पड़ गई है इसको दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, यह मेरा कहना है।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : जो तुमने 20 साल में नहीं किया है, वह हमने दो साल में कर दिखाया है।

श्री तुलसी दास जाधव : धर्म के नाम पर होता है... (व्यवधान)

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी (करौल बाग)
प्रान ए प्वाइन्ट प्राफ प्राइंडर।

सभापति महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा, वह उचित नहीं था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली के प्रन्दर हम एक लाख एकड़ भूमि बांटना चाहते थे लेकिन इनकी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने वहां पर जातपात का ऐसा बवंडर मचाया कि हम कुछ नहीं कर सके।

सभापति महोदय : यह कोई प्वाइन्ट प्राफ प्राइंडर नहीं है। चलिये जारी कीजिये।

श्री तुलसी दास जाधव : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि हमारा जो रबैया है वह ऐसा है कि हमको गाय से प्यार है, धर्म से प्यार है, टेम्पल्स से प्यार है, हमारे पास रहने वाले कुत्तों-बिल्लियों को रोजाना खिलाने के लिए हम चार-चार और पांच-पांच रुपये खर्च कर देगे और वैसे तो हम गाय से प्यार करते हैं लेकिन गाय का दूध क्योंकि कुछ पतला होता है और भैंस का दूध गाढ़ा होता है

इसलिए हम भैंस का दूध लेंगे। यह हमारा रोजाना का तरीका है। हमारा रोजाना का तरीका यह हो गया है कि हम इन्सानों से तो नफरत करें और जानवरों से प्यार। इसीलिए गांधी ने हिन्दू धर्म के लिए कहा है। हिन्दू धर्म किसको कहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहता। हिन्दू धर्म के लिए गांधी जी कहते हैं :

"Untouchability as it is practised in Hinduism today is, in my opinion, a sin against God and man and is, therefore, like a poison slowly eating into the very vitals of Hinduism. In my opinion, it has no sanction whatsoever in Hindu *Shastras* taken as a whole."

SHRI OM PRAKASH TYAGI
(Moradabad) : Yes.

श्री तुलसी दास जाधव : आपने हिन्दू शास्त्रों को पढ़ा है। पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनके लिटरेचर को पढ़ा है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आपने हिन्दू शास्त्रों को भी देखा है ? (व्यवधान)

श्री तुलसी दास जाधव : मैंने देखा है। मैं आपको बताऊंगा (व्यवधान)

SHRI BASUMATARI (Kokrajhar) : It is a grave situation. He should not go into controversial matters.

SHRI TULSHIDAS JADHAV . "It has degraded both the untouchables and the touchables. It has stunted the growth... (Interruption)

सभापति महोदय : तुलसीदास जाधव जी, यह जो बिल है, उसके सम्बन्ध में ही आप बोलिये।

श्री तुलसी दास जाधव : मैं नाम नहीं लेता। हम जो हिन्दू धर्म के कहलाने वाले लोग हैं उन का फर्ज क्या है ? हमारा फर्ज है कि इनको सपोर्ट करें, इनकी ताकत को बढ़ायें, इनको इन्सान की दृष्टि से देखें। इनके रहने के लिये मकान हो पानी हो, शिक्षा मुफ्त हो

[श्री तुलसी दास जाधव]

श्रीर जीवन की दूसरी सभी व्यवस्थायें हम इन के लिये करें। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जो हिन्दू धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उन को यह सब सोचना चाहिये और जैसा गांधी जी ने कहा था कि अगर हिन्दू धर्म में ऐसा नहीं होता है तो वह हिन्दू धर्म सच्चा नहीं है।

सभापति महोदय : यह तो विषय बढ़ाने की बात है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : आप हिन्दू धर्म पर न बोलें।

श्री तुलसा दास जाधव : आखीर में एक सेटेंस श्रीर में आपको सुनाना चाहता हूँ :

"As I have said repeatedly, if un-touchability lives, Hinduism perishes and even India perishes."

दुनिया के अन्दर इसाई धर्म बढ़ता है, मुस्लिम धर्म बढ़ता है, लेकिन जो हिन्दू धर्म है वह घटता जाता है। जैन बाहर चले गए, लिगायत बाहर चले गये और बाबा भ्रम्बेडकर के साथ बहुत से हरिजन बौद्ध बन गये। इस तरह से हिन्दुओं की संख्या घटती जाती है और जैसे साप अपने बच्चे को सर से और पांव से खा ला कर समाप्त कर देता है, उसी तरह से ये हिन्दू कहलाने वाले लोग हिन्दू धर्म को खत्म करते जा रहे हैं। इसलिए मेरी इन भाइयों से बिनती है कि इन इंसानों के साथ भी इंसानियत के साथ बर्ताव करने की कृपा करें और 10 जगहों की जगह जो 100 जगहें इन की होती हैं उतनी सीटें इन को दीजिये। हर गांव पंचायत, ताल्लुका पंचायत समिति, जिला परिषद और एसेम्बली में इनको राज्य करने दीजिये। हजारों वर्ष तक हिन्दू धर्म के कहलाने वाले लोगों ने अपनी बुद्धि से, पैसे से और शक्ति से इन पर राज्य किया है। अब उस राज्य की बागडोर आप इन के हाथों में देंगे तो यह किसी का बुरा नहीं करेगा।

इतना कह कर, जो बिल यहां पर लाया गया है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Shri S.M. Banerjee.

DR. RAM SUBHAG SINGH : There is no objection to continuing the discussion on this Bill. But the next Bill standing in the name of Shri J.B. Kripalani is an important Bill. I want to submit that he should be given an opportunity, at least a minute, to move his Bill. That is a very important Bill.

सभापति महोदय : हमने आपकी बात सुन ली है। पिछली मर्तबा भी यह बात उठी थी और क्योंकि रूल्स परमिट नहीं करते हैं, इसलिए परमिट नहीं किया गया था। जब तक यह खत्म नहीं होगा, तब तक दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसलिये हमारी लाचारी है। हम माफी चाहते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति जी, ऐसा है कि कई बार पहले भी इस प्रकार के प्रसंग आये हैं कि जब कोई बहुत आवश्यक बिल था और पहले बिल पर चर्चा नियत समय में समाप्त नहीं होनी थी, तो अध्यक्ष के आसन से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था आई कि सदन की अनुमति नियम के स्थगन को ले ली गई और उस अनुमति के बाद एक मिनट के लिये वह विधेयक प्रस्तुत किया गया और फिर पहले विधेयक पर चर्चा चली। क्योंकि आचार्य जी सदन के एक बरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिये इस तरह की व्यवस्था हो जाये तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय : हमने इस बारे में पूछा है और हमें मालूम हुआ है कि इस तरह का कोई केस नहीं हुआ जिसमें डिस्कसन चल रहा हो और उसको स्थगित करके दूसरा विधेयक पेश कर दिया गया हो।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : हुआ है। यह प्राप अपने विभाग से पूछिये।

श्री सूरज भान : चाई हैब नो श्रीबजेकशन।

सभापति महोदय : अभी समय है। पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मुझे कोई प्रापति नहीं है अगर प्राचार्य कृपलानी जी का बिल कम से कम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सभापति महोदय, मैं धन्यावाद देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथी श्री सूरज भान जी को...

एक माननीय सदस्य : जो जनसंघ के हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : कोई बात नहीं है। जनसंघ में रह कर उन्होंने जन सम्पर्क नहीं तोड़ा है। इसलिए वे चाहे किसी दल के हों, मैं समझता हूँ कि आज जो विधेयक उन्होंने पेश किया है, उस को ला कर उन्होंने एक चीज को साबित कर दिया है कि हमारे जो हरिजन भाई हैं जो वायदे उनके सामने किये गए थे उन में से एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बिल में कुछ सीटे बढ़ाने की बात कही है और स्टेटमेंट आफ् प्राबजेक्ट एण्ड रीजन्स को अगर अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो उन्होंने एक बड की मुखालफत की है "एज नियरली एज मे बी"। यह कुछ ऐसे शब्द हैं कि शब्दचतुरी में हमेशा कुछ सीटों का हनन होता है।

मैं समझता हूँ कि आज चाहे लोक सभा हो चाहे हमारी स्टेट प्रसेम्बलीज हो, वहां पर उन लोगों की नुमाइन्दगी ज्यादा होनी चाहिये जिनका बहुमत इस देश में है। अभी जो भी चीजें कही गईं, चाहे गांधी जी का उदाहरण

दिया गया हो या श्रीर कुछ, यह बात सच है कि आज तक भी हरिजनों के साथ न्याय नहीं हुआ। मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था श्रीर एक इशारा किया था कि कंसा व्यवहार हमारी ऊंची जाति के लोग हरिजनों के साथ करते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हिन्दू जाति में उदारता नहीं है। उदारता बहुत है, लेकिन संकीर्णता भी है, और उस संकीर्णता के कारण अगर हम लोग बर्णाश्रम के आधार पर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हरिजनों का कल्याण इस देश में होने वाला नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि तमाम हरिजन भाई इस मुल्क में एक दफा एक हो कर भाड़ पंजा ले कर खड़े हो जायें समाज को भाड़ने के लिए ताकि तमाम संकीर्णता इस देश में से खरम हो जायें चाहे लोग जितनी भी बर्णाश्रम की बात करें, चाहे जितना मनु की दुहाई देते हुए उसके बारे में कहें, मैं कहना चाहता हूँ कि एक मुसलमान भाई के घर में प्राप जाइये। एक दस्तरख्वान बिछा होता है, उसपर कोई चीज लिखी हो या नहीं, लेकिन ग्राम तीर से तमाम चीजें लगी होती हैं। वहां हम इस चीज की भावना देख सकते हैं कि हम सब लोग एक हैं। वहां कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। एक भिस्ती पानी देने के लिए प्राता है। अगर वह भूखा है और रोजा खोलने का मौका प्रा गया तो वह बैठ जाता है और रोजा खोल लेता है। कोई नहीं पूछता कि तुम भिस्ती हो या मेहतर हो या कौन हो। रोजा खोलने की जगह सब एक जगह बैठ जाते हैं। यह मैंने अपनी प्राखों से देखा है। मैं नहीं जानता कि यह उदारता उनमें क्यों है। चाहे जो कुछ भी प्राप कहें, लेकिन मैं कहता हूँ कि उन में एका ज्यादा है।

हमारे यहां पर अगर बंगाली और बिहारी में लड़ाई नहीं है तो श्री वास्तव, निगम और पाण्डेय में लड़ाई जरूर होगी। पाण्डेय कभी श्री वास्तव को नहीं चाहेंगे और श्री वास्तव कभी पाण्डेय को नहीं चाहेंगे। अगर भूमिहार

[श्री स० मो० बनर्जी]

हैं तो ठाकुर से लड़ेगे। उनमें लड़ाई भगड़ा जरूर होगा और मारा कौन जाता है? हरिजन।

आज हम अच्छी तरह से उस नारे के बारे में सोचें जो डा० लोहिया ने काफी दिन पहले दिया था। मुझे खुशी हुई थी और इस बात को हम लोग याद करते हैं कि जब डा० राम मनोहर लोहिया इस सदन में मेम्बर हो कर आये, तब वह खुद लीडर बन सकते थे, वह अपने दल के लीडर बन सकते थे और कोई उन की मुखालिफत करने वाला नहीं था। लेकिन उनका लीडर कौन हुआ? मनी राम बागड़ी। उन्होंने खुद कहा था कि जो पिछड़ी जाति से आते हैं मैं उन्हें उठाना चाहता हूँ। उन्होंने जाति तोड़ो सम्मेलन सारे देश में किया। (ध्यवधान)। यह उनका ध्येय था और इसके लिये उन्होंने जाति तोड़ो सम्मेलन सारे देश में किया। वहाँ पर मैंने लोगों को बेखा, जो यहां भाषण दे रहे थे। वह भी समर्थन कर सकते थे। डा० लोहिया की मुखालिफत बहुत चीजों में होती थी, लेकिन जाति तोड़ने की मुखालिफत नहीं होती थी। इस देश में जब तक जाति पाति रहेगी तब तक जो लोग मुसीबतजदा हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उनके घर में भगवान भी आये तो रोटी और कपड़े की शक्ल में आये, वरना वह लोग मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिर्जा में कहेंगे कि अगर तुम मेरे घर में आओ तो बहु वेटी की लाज बन कर रहती उनके दुःख का बोझ मिटाने के लिये।

जिन लोगों को उठाने के लिये हम यह विधेयक पास कर रहे हैं उनके बारे में गांधी जी का आदर्श चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हमारे पूबजों ने जो पाप उन लोगों के साथ किया है उसकी कोई इन्तहा नहीं है। यह सही है कि अगर वेद की ध्वनि उन लोगों के कान में जाती थी तब उनके कान में सीसा डाल

दिया जाता था ताकि वह जीवन भर के लिये बहरे हो जायें। क्या यह बात सही नहीं है कि जितने लोग भी हिन्दू जाति को छोड़ कर गये हैं या जो क्रिश्चियन बन गये हैं वह इस लिये बने कि क्रिश्चियन फादर उनके साथ बैठ कर बात करते थे? मैं यहां काफी घूमा फिरा हूँ। जब छोटा नागपुर एरिया में मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब्ज वालों के बीच में बैठ कर उनसे पूछा कि अगर तुम फ्रांस लटका कर घूम रहे हो तो क्या तुम अंग्रेज हो गये, क्या तुम साहब हो गये? तुमने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हम को वहां बोलने का मौका मिलता है, हम बातचीत करते हैं और आपस में मिलने बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां क्या होता है? अगर घोबी का साया तक मुबह-सुबह चला जाय तो हमारे ऊपर षब्बा आ जाये। और लोग खाना भी नहीं खायेगे। आखिर यह चीजें हमारे देश में कब तक चलेगी? यह चीजें तभी दूर हो सकती हैं जब उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन ठीक से मिले। मैं पांच साल पहले की बात बतलाता हूँ कि अगर आप किसी के घर में एक हरिजन को ले जायें तो वहां की बहू खाना नहीं खायेगी।

एक माननीय सदस्य : आप क्या करते हैं?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इन्टर-प्राविंशल मीरेज में विश्वास करता हूँ और मैंने किया, मैं इन्टर-कास्ट मीरेज में विश्वास करता हूँ और मैंने किया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो मैं नहीं करता।

श्री अश्वल गनी डार : जब आप की हुकूमत होगी और यह नकली हुकूमत चली जायेगी तब यकीनन ऐसा ही होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आप के यहां

से जाने के बाद हठमत्त बनाऊंगा ताकि कोई नुकता चीनी न करे। इस लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

SHRI BASUMATARI : This Bill is an important one. We want to express our feelings. We are very glad that everybody is supporting it, including Mr. Banerjee; but only we request you and appeal to you, that everybody should be given time, so that everybody can express his opinion.

MR. CHAIRMAN : That is right. He is giving a little bit of background; that is all.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो दशा देश की हुई है वह इसी वजह से हुई है कि हम लोगों ने हमेशा उन लोगों को नीचा बनाये रखा, और जब भी उन्होंने कहा कि हमारी कोई हैसियत होनी चाहिये तब भाषण देने वालों ने कहा कि तुम हो इस इमारत की बुनियाद की ईंटें जो कभी नजर नहीं आओगे। चमकती हुई ईंटें होंगे ब्राह्मण और ठाकुर और बुनियाद की ईंटें होंगे हरिजन जिसके बूते पर बिल्डिंग खड़ी होती है वह कभी नजर नहीं आयेंगे।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे लीडर जो यहां बैठे हैं हरिजन बच्चे को देखते हैं, जिसके तिर में झूते नहीं हैं, जिसके बासों में तेल नहीं है आंखें घंसी जा रही हैं, तब उसकी तरफ उंगली उठा कर कहते हैं कि यह कौन है जानते हो? वह पूछते हैं कि कौन है। तब वह कहते हैं कि आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री! उसके माँ बाप यह सुन कर खुश हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब लड़का पांचवीं या छठवीं जमात में जाता है तब आज कल आपने देखा होगा कि किताबों का वजन होता है 12 सेर और लड़के का वजन होता है 11 सेर। यह गलत हो गई है कि उसकी कमर झुकी जाती है। जब नाम कट जाता है तब वह पैसे नहीं दे सकता है। हजारों हरिजन

बच्चे अपनी फीस माफ करवाने के लिए दौड़ते हैं। हर एक एम पी को इस चीज को फेस करना होता है, और मुझे भी यह चीज फेस करनी पड़ती है। वह कहते हैं कि मेरे पिता की ग्रामदनी 100 रु० से कम है। लेकिन भाषण में सुनते हैं कि यह है आने वाले हिन्दुस्तान का होने वाला प्रधान मंत्री। लेकिन बाद में शकल कौन नजर आती है? वह जूटे बर्तन मांजता है, जब कतरता है, बूट पालिश करता है। यह हमारे हिन्दुस्तान की शकल है।

मैं चाहता हूँ कि चाहे हम को सीटें कम मिलें, लेकिन इस तबके की हालत ठीक होनी चाहिए चाहे वह खेतों में आ रहे हों चाहे फील्ड्रियों से आ रहे हों, या हरिजन हों, उसी तरह से हैं इन नारों के कारण उनकी हालत वैसी है जैसे एक कुत्ते को मुगलता हो गया। एक बँलगाड़ी गाँव को चली आ रही थी तो उसके नीचे एक कुत्ता भी चला आया। पूरे गाँव से कुत्ते ने कहा कि मैं इस गाड़ी को लींच कर लाया हूँ। हमारी गाड़ी को हरिजन चला रहे हैं प्राप मानें या न मानें। इस लिए सिर्फ बोट हासिल करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सच्ची सेवा करने के लिए हमें चाहिये कि हम उनको प्रापर रिप्रेजेंटेशन दे ताकि जितने भी कानून बने उनमें उनका हित हो, हिफाजत हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाली सीटें भर जाने से उनका भला नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तौर से समर्थन करता हूँ।

श्रीमती भिनीमाता अग्रम दासगुप्त (जंजगीर) : सभापति महोदय, श्री सूरज भान ने जो बिल पेश किया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं एक बाधा देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक मुक्त-भोगी हूँ। हो सकता है कि सरकार और यह हाउस इस

[श्रीमती मिनीमाता भ्रम दसगुरु]

बिल को मन्जूर कर ले। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हरिजनों और आदिवासियों के प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले लोग बनाने वाली जनगणना में ऐसा जाल बिछायेगे कि उसमें इन जातियों की जनसंख्या कम दिखाई जायेगी। यदि जनगणना में हरिजनों और आदिवासियों की जनसंख्या सही रूप में लिखी जाये, तो पार्लियामेंट और विधान सभाओं में हमारा प्रतिनिधित्व स्वयं ही बढ़ जायेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करने देंगे। मुझे इस बिल से एक ही बात का नुक्सान दिखाई पड़ रहा है कि हरिजनों और आदिवासियों की जनगणना में जरूर बाधा डाली जायेगी। इस बिल का समर्थन सारा हाउस कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ और शासन को इस बिल को मन्जूर कर लेना चाहिए। किन्तु इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था अवश्य कर देनी चाहिए कि जनगणना करने वाला जो व्यक्ति सही तौर पर जनगणना नहीं करता है, उस को सजा दी जायेगी।

जैसा कि मैं ने अभी कहा है, मैं भुक्त-भोगी हूँ। रायपुर जिले में मेरे चुनाव-क्षेत्र में 22 प्रतिशत हरिजन थे। लेकिन 1961 में जो जनगणना हुई, उनमें सबर्णों की जनसंख्या 24 परसेंट बढ़ गई, जब कि हरिजनों की जनसंख्या 10 प्रतिशत घट गई, जिस के कारण उस रिजर्व्ड सीट को खत्म कर के जेनेरल सीट बना दिया गया। उस जनगणना में हरिजनों की जनसंख्या कम हो गई, हालांकि हम जानते हैं कि हरिजनों और गरीब वर्ग में हर साल जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। मैं यद् नहीं कह सकती हूँ कि जो लोग हाउस में बड़ी उदारता दिखा रहे हैं, वे जनगणना के समय हमें कितना सहयोग देंगे।

हम लोग सबर्णों के द्वारा नीच जाति और भ्रष्ट भोषित किये गये। आजादी के बाद जब हम को कुछ सिर उठाने का मौका मिला, तो

हिन्दू रूपी परशुराम का फरसा उठा। हमें आगे बढ़ने से रोका गया और अब भी रोका जा रहा है। रात-दिन हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं। मुंगेली कांड का जिक्र यहां पर कई बार आ चुका है। हम ने उस के लिए कमीशन की मांग की थी और कमीशन बैठा था। अभी उसका जांच-कार्य चल रहा था कि छ: और हरिजनों की हत्या हो गई। मैं ने उसी समय निश्चय कर लिया था कि अब हरिजनों का कल्याण नहीं है, इसलिए अब हरिजन परिवार-नियोजन को न मानें, बल्कि ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा कर के अपनी जनसंख्या बढ़ायें। महाभारत के समय जब पांडवों द्वारा कीचक को मारा गया, तो उस के खून की एक बूंद के गिरने से सौ कीचक पैदा हो जाते थे। उसी तरह अगर आज हरिजनों को मारा जाता है, तो हरिजनों को उतने ही अधिक बच्चे पैदा कर अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहिये।

सौराष्ट्र की एक बहन ने कल कहा कि भंगियों की मुक्ति तब होगी, जब कि उन के भंगीपन को छुड़ा दिया जाये। उस बात को हम और सब लोग मानते हैं। श्री तुलसीदास जाधव ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में कितना छुमाछूत है।

मुझे एक बार गांधीजी के प्रदेश में जाने का सीमाग्य हुआ। वह "अहिंसा परमो धर्मः" का प्रदेश है। वहां चूहे को नहीं मारेंगे, बरें को नहीं मारेंगे, कुत्ते को नहीं मारेंगे, किन्तु हरिजन को अवश्य मारेंगे। हमारी भंगी मुक्ति कमेटी वहां गई थी। अहमदाबाद में उस कमेटी के सचिव को कुत्ते ने काट लिया। हम उन को लेकर अस्पताल में गये। वहां पर डाक्टर ने कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, प्रतिदिन कुत्ता काटने के 35 केस आते हैं, हमारे पास इन्जेक्शन का स्टॉक नहीं है। हमको बम्बई से दवाई मंगानी पड़ी। हम ने डाक्टर से कहा कि आप

यहां पर कुत्तों को कम क्यों नहीं करते हैं। उसने कहा कि यहां कुत्ते क्या, चींटी को भी नहीं मारा जाता है। इस कारण वहां पर कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उन के लिए बड़े-बड़े पिंजरे बना कर एक-एक पिंजरे में पांच दस कुत्तों को भर दिया जाता है और आपस में लड़ कर जो कुत्ते मर जाते हैं, उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। वहां पर स्थिति यह है कि चींटी, चिड़िया या चूहे को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हरिजन को जरूर मारना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं।

17.00 hrs.

हमारे भाई नाराज न हों, मैं ने एक ग्राम सभा में जनसंघ के एक कार्यकर्ता का यह भाषण सुना, "भरे हिन्दुओं, ये हरिजन और आदिवासी तुम्हारे सिरों और कंधों पर चढ़ कर, तुम्हारे अफसर बन कर, तुम से सेवा करवायेंगे, इसलिए तुमको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए।" इस तरह के भाषणों का यह असर होता है कि संविधान में हरिजनों को नहीं लिया जाता है और स्कूल-कालेजों में बच्चों को भर्ती नहीं किया जाता है। शासन ने स्कालरशिप्स और दूसरी सुविधाओं के रूप में थोड़ा सा दाना फेंक दिया है। किंतु हरिजनों और आदिवासियों के लिए जितने भी कार्यालय और विभाग खुले हुए हैं, उन में दुबे, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा और शर्मा पल रहे हैं। उन विभागों में आप को एक भी हरिजन अफसर नहीं मिलेगा। अगर वहां पर एक भी बड़ा अफसर हरिजन मिल जाये, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। वहां पर एक भी बड़ा अफसर हरिजन नहीं मिलेगा।

मैंने अपने चुनाव-क्षेत्र में देखा कि जिस गांव में हरिजनों की जनसंख्या 500 थी, जन-गणना में वहां पर उन की संख्या 150 दिखाई गई। जहां उनकी जनसंख्या 400 थी, वहां 50 दिखाई गई। अगर हमारी जनसंख्या इस

तरह कम की जायेगी, तो हमें सीटें कैसे मिलेंगी और रिजर्वेशन कैसे होगा? कुछ लोग हरिजनों और आदिवासियों की सही जनसंख्या बताने से इसीलिए डरते हैं कि कहीं उनकी कोई अलग स्टेट बन जाये और इसीलिए वे उनकी जनसंख्या को कम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। आसाम में आदिवासियों की एक स्टेट मेघालय बन गई। आसाम में ही खासी जाति में पुरुषों की जनसंख्या नहीं के बराबर दिखाई गई है। इस स्थिति में वहां पर एक "महिलालय" भी बन सकता है।

अन्त में मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अगर जनगणना में हमारी जनसंख्या सही गिनाई जायेगी तभी यह बिल समर्थ होगा। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ और शासन को इसे मान लेना चाहिए।

MR. CHAIRMAN : Shri B. S. Chauhan.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : The office told me that this discussion would last 1½ hours. Nobody here has any objection to this ; I simply want a second to move my Bill for consideration.

MR. CHAIRMAN : Let us see. Let him be patient. This will continue till 5.30 P.M. There is enough time.

श्री भारत सिंह चौहान (घार) : सभापति महोदय, संविधान में एमेंडमेंट के लिए यह बिल इसी लिए लाया गया है कि पिछले तेईस बरसों में हरिजनों और आदिवासियों के अधिकारों की अवहेलना की जाती रही है। समय-समय पर यह बात शासन के ध्यान में लाई जाती रही है कि संविधान में इन लोगों को जो अधिकार दिये गये हैं, उन की अवहेलना हो रही है और इन को दिये गये वचनों का पालन नहीं हो रहा है। हरिजनों और आदिवासियों के प्रति शासन की उपेक्षा इसी बात से साबित हो गई थी कि ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से आदिवासियों का एक राज्य, मेघालय, बनाने के सम्बन्ध में जो बिल

[श्री भारत सिंह चौहान]

लाया गया था, वह भी इस सदन में पास न हो पाया। इससे माफ जाहिर है कि शासन ने इन तेईस सालों में हरिजनों और आदिवासियों के अधिकारों की अवहेलना की है और उनके हितों के प्रति उपेक्षा दिखाई है। उसी भावना से प्रेरित होकर श्री सूरज भान इस बिल को सदन में लाये हैं। उन्होंने बताया है कि अब हरिजन और आदिवासी चुपचाप नहीं रहने वाले हैं, वे अपने हकों के लिए लड़ेंगे, वे न्याय मांगेंगे और देश को दिखायेंगे कि भारत की यह नौ दस करोड़ की आबादी अब अन्याय को सहन नहीं करेगी।

यह जो शोषण हजारों वर्षों से होता आया है उस को अब वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह एक बड़ी विडम्बना की बात है। भारत जहां पर कि 55 करोड़ की आबादी है उसमें से 10 करोड़ जनता भूखी रहे, गंगी रहे तो क्या कभी समृद्धिशाली और बलशाली बन सकता है? मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम को अपने देश को समृद्धिशाली और बलशाली बनाना है तो हमको कमर कसना होगा कि दस करोड़ जनता पर जिस तरह से अब तक भयानक अत्याचार होते चले आये हैं वह समाप्त हों, उन्हें हमको निर्मूल करना पड़ेगा। अभी तक शासन ने जो काम किया है, विधान में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, परन्तु यह एक तरह का बड़ा भारी धोखा दिया है इस दस करोड़ की जनता को। मैंने कई दफा कमेटियों में शासन का ध्यान इस तरफ दिलाया। अपना पैनल जो बैंकवर्क का बना था प्लानिंग कमीशन में उस ने भी यह सिद्ध कर दिया था और यह महसूस किया गया था कि दरअसल 20-22 साल में हमें जितना करना चाहिए था वह हमने नहीं किया।

अभी मंडल साहब यह कहा कि मिलिटरी में संप्रदायवाद के नाम से आज तक असन्तोष चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में हमको निर्मूल

करने के लिए सुझाव दिया गया था। इस प्रकार के सुझाव सरकार को दिये गये थे जिस से कि धीरे-धीरे यह भावना समाप्त हो सके। लेकिन उनको अमल में यह शासन सच्चे रूप में कभी नहीं लाया। हमारी फौजों के नाम रखने के लिये हमारे पर्वतों के नाम इतने सुन्दर हैं कि जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। यह जाति के नाम से क्यों हो? आजादी के बाद से भारत को हम जातिहीन एलान करते हैं लेकिन प्रिन्ट-कल में, व्यवहार में, हम कोई भी बात नहीं करते हैं। उसी का यह फल है कि जिससे आज भारत जिस तरह से समृद्धिशाली बनना चाहिए था वह नहीं बन पाया। कलाश रेजिमेंट, गंगा रेजिमेंट, नर्मदा रेजिमेंट, विन्ध्य रेजिमेंट, इत्यादि तरह के हमारे सुझाव थे। लेकिन उनको कभी अमल में नहीं लाये। एक यह सुझाव हमारा था कि हमारे आदिवासी भाई जो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, वह अच्छे किसान हैं, वह अच्छे फौजी बन सकते हैं, वह अच्छे सिपाही बन सकते हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके उत्थान के लिए इन 22 सालों में सब्बाई से कभी काम नहीं किया है। मेरे कई इस तरह के सुझाव थे कि भारत की रक्षा के लिए वह अच्छे सिपाही बन सकते हैं, अच्छे सैनिक बन सकते हैं, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं इस समस्या को जो शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को है दो भागों में विभाजित करता हूँ। हमारे हरिजन भाई सेवा के लिए मशहूर रहे हैं। वह हजारों वर्षों से सेवा करते आये हैं। देश में और विश्व में सेवा की कितनी महत्ता है यह आप खुद अन्दाज कर सकते हैं। लेकिन यह दो तबके जो सेवा करते हुए इस देश में रह रहे हैं उनकी क्या हालत है? इस देश में उनकी कितनी बड़ी दुर्दशा है, हम अन्दाज नहीं कर सकते। हम जवाबदार हैं इसके। यह तब का आजादी के बाद भी जो इस तरह दुर्दशाग्रस्त है इसकी जवाबदारी किस पर है? हमारे भाई ने हिन्दू समाज पर यह लक्ष्मण लगाया कि हिन्दू समाज

के लोगों ने इनको दबा रखा। मैं इन से कहना चाहता हूँ कि आजादी के बाद जब आपके पास यह शासन आया उस वक्त से अब तक आप कहां गये थे? हिन्दू समाज में तो दयानन्द सरस्वती ने सैकड़ों साल पहले यह आवाज उठाई कि जाति पांत तोड़ें। वह तो शासन में नहीं गये थे। उन्होंने जो काम किया देश में वह एक अद्भुत काम था और देश को उससे फायदा था। लेकिन जो भाई शासन में आये उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को उठाया, क्यों नहीं इस चीज को आगे बढ़ाया? यह कानून भी जो बनाते हैं उस को भी अमल में नहीं लाते। इस तब के को उठाने के लिए इन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया।

तो मेरा इस बिल के बारे में यही कहना है कि यह जो बिल आया है यह समय के अनु-सार आया है और अब यह समझ जाना चाहिए शासन को कि अब जो यह दबे हुए लोग हैं वह कभी इस तरह से चुपचाप और शांत नहीं रहने वाले हैं।

कुछ भाइयों ने ऐसी भी बातें कही हैं मध्य प्रदेश के बारे में, मुझे बड़ा दुख होता है, जिन भाइयों ने मध्य प्रदेश के बारे में कहा, मैं उनको यह बतलाना चाहता हूँ कि मैं पंचायत का और जिला परिषद का 12 साल प्रेसीडेंट रहा हूँ और उस में कानून बना हुआ था, हरिजनों का रिजर्वेशन रखा जावे, आदिवासियों का रिजर्वेशन रखा जावे और वह रखा गया। तो यह एक समाज सुधार की बात है। हम सब क्या कांग्रेस, क्या जनसंघ, क्या और दल, जितने भी दल हैं उन सब के लिए यह कलंक है, यह हमारे समाज पर एक घम्बा है। आज पार्टी के आचार पर जो इस दृष्टिकोण को रख कर देखते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वह बड़ी भारी भूल करते हैं। 21 हजार पंचायतें हमारे यहां हैं वह सदस्य महोदय यहां पर हैं नहीं लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि पंचायत में रिजर्वेशन था और हम लोग जब कुछ करते थे तो वहां हरिजन आदिवासी का भेदभाव नहीं था। हम इकट्ठा बैठकर काम

करते थे और यह बतलाना कि वहां इस तरह से बात नहीं होती थी, यह ठीक नहीं है। यह तो शासन का काम था कि अगर ठीक अमल नहीं हो रहा है तो उसको उसे पूरा कराना चाहिए था।

तो यह बिल जो आया है वह उन भावनाओं को लेकर आया है और यह निश्चित और निर्विवाद बात है कि यह देश तभी सुखी हो सकता है तभी समृद्धिशाली हो सकता है जब इस दस करोड़ जनता को पूरे अधिकार मिलें, उन्हें समाज में उचित स्थान मिले और वह सम्पन्न बनें, तभी हम अपने को सुखी मान सकते हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि एक तरफ तो करोड़पति बैठे हुए हैं और एक तरफ भूखे नंगे बैठे हुए हैं। यह बातें जो अभी तक चली आई हैं, यह अब नहीं रह सकतीं। इससे बिलकुल सिद्ध है कि हम इस तरह सुखी नहीं हो सकते। अगर हम मुख की परिभाषा करें तो यह साफ नजर आता है कि पड़ोस में कोई भूखा हो और आप मालपूत्रा उड़ावें, और अपने को सुखी समझें यह महान गलती है। इस तरह हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत से लोगों ने महात्मा गांधी की बात कही। तो क्या महात्मा गांधी हिन्दू नहीं थे? या कांग्रेस के जो लोग यहां बैठे हुए हैं क्या वह हिन्दू नहीं हैं? यह जो बार बार इस तरह की बातें करने हैं इसका क्या मतलब है? पुरानी बात याद आती है। मिस मेयो ने एक किताब लिखी थी और उसको सब बुरा ही बुरा नजर आया था। इसी तरह से आज पार्टी में अन्धे होकर लोग इस तरह की बातें यहां करते हैं। आजादी की प्राप्ति करने में क्या हिन्दू स्पिरिट काम नहीं कर रही थी? आजादी जो प्राप्त हुई है अंग्रेजों ने माना है कि हिन्दू स्पिरिट एक ऐसी है कि जिसने भारतवर्ष को जिन्दा रखा हुआ है। अंग्रेजों ने विद्रोही कहा है हिन्दुओं को जिस वक्त कि आजादी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन आज वह बात यह भाई भूल जाते हैं जो इस तरह की बात करते हैं।

[श्री भारत सिंह चौहान]

यह समाज सुधार की बात है और समाज सुधार के बारे में कानून कायदे आये हैं लेकिन यह भी सही है कि उनका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। इसलिये हम लड़ रहे हैं कि जो भी हमारे हक और अधिकार हैं वह हमें दिये जायें। विधान के अनुसार हम लड़ रहे हैं। विधान का अगर पालन नहीं होता है, शासन उसको मंजूर नहीं करता है तो हम बराबर इस चीज को जनता के सामने लायेंगे और अपने हकों व अधिकारों को लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यह विचार रखता हूँ।

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : Sir, I beg to move under rule 109 :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 330 and 332), by Shri Suraj Bhan, be adjourned to the next day allotted for Private Members' Bills."

सभापति महोदय : यह जो मोशन आया है यदि इसको मान लिया जायेगा तो इस मोशन के खत्म होने के बाद ही सूरज भान जी का मोशन लिया जा सकेगा...

SHRI K. HANUMANTHAIYA : What is the motion, Sir ?

MR. CHAIRMAN : The motion is :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill. (Amendment of articles 330 and 332), by Shri Suraj Bhan, be adjourned to the next day allotted for Private Members' Bills."

AN HON. MEMBER : Why ?

SHRI SIDDAYYA : Please give me a chance to speak on the Bill.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : What will be its implications ?

सभापति महोदय : सूरज भान जी इससे एग्री कर गये हैं।

श्री सूरजभान : लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ—क्या नेक्स्ट-डे जब मौका आयेगा, उस दिन पहले मेरे ही बिल पर डिस्कशन होगा?

सभापति महोदय : उस दिन पहले आचार्य जी के बिल पर डिस्कशन होगा, उसके खत्म होने के बाद, आपका मोशन आयेगा...

श्री सूरजभान : तब तो मैं एग्री नहीं करता हूँ।

श्री शिव नारायण : खाली मूव कर दें, बाद में उसे ले लिया जाय।

सभापति महोदय : ऐसा नहीं हो सकता है कि वह मूव कर दें और फिर यह बहस चलती रहे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, परम्परा यह है कि सूरजभान जी का विधेयक चल रहा है और इस बीच में आचार्य जी का विधेयक समाप्त न हो जाय, इसलिये नियम को स्थगित कर के हम आचार्य जी के बिल को ले लें। आचार्य जी का विधेयक यह है कि भारतरत्न, पद्म भूषण आदि उपाधियाँ, जैसे पहले रायबहादुरी के खिताब दिये जाते थे, दिये जाने लगे हैं, इनको समाप्त किया जाय। इस मोशन के स्वीकार कर लेने से सूरजभान जी का बिल कन्टीन्यू करेगा, वह बिल समाप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय : समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन आचार्य जी के बिल का डिस्कशन समाप्त होने के बाद ही उन के बिल को फिर से लिया जा सकेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसीलिए तो मेरा कहना है कि आचार्य जी का जो विधेयक है वह इतना बड़ा नहीं है कि जिस पर ज्यादा समय लगे। इसमें आचार्य जी के भाषण के बाद बोट हो जाय और फिर सूरजभान जी का बिल ज्यों का त्यों कन्टीन्यू करे।

सभापति महोदय : लेकिन इस पर भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं, साठे पांच बजे तक यह खत्म नहीं हो सकेगा। इसलिये यदि सूरज भान जी तैयार हो जायं तो हम इस को ले सकते हैं, बरना हम वोट ले लेते हैं।

श्री सूरजभान : अगर आज के एडजार्न-मेंट के बाद अगली दफा पहले मेरे ही बिल पर डिस्कशन हो, तब मैं इस को स्वीकार कर सकता हूँ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : सभापति महोदय, श्री कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात रखी थी कि इस प्रकार के उदाहरण पहले मौजूद हैं कि जिन में एक सदस्य को अवसर देने के लिए ऐसा किया गया है कि नियम को स्थगित कर के उन को इस बात का अवसर दिया गया कि वे अपने बिल को मूव कर सकें, जिन से उनका बिल जीवित रह सके। उसी तरह से इस समय भी किया जा सकता है और उस के बाद सूरज भान जी के बिल पर बहस शुरू हो जाये ताकि अगली बार उस को जारी रखा जा सके। यही प्रस्ताव आपके सामने रखा गया था और इमी दृष्टि से आप अपने कार्यालय से सहायता लेना चाहते थे कि क्या इस प्रकार के उदाहरण पहले हैं, कि बीच में इस प्रकार का अवसर देकर, फिर उसी बिल पर चर्चा शुरू हो जाय ताकि अगली सिटिंग में सूरज भान जी का बिल शुरू किया जा सके।

सभापति महोदय : मैंने कार्यालय की सहायता ली थी, मुझको बताया गया है कि यदि आचार्य जी का बिल ले लिया जायगा, तो फिर उसके खत्म होने के बाद ही सूरज भान जी का बिल लिया जा सकेगा। इसलिये यह बात अब आप को तय करनी है।

श्री मोलह प्रसाद : यह बहुत महत्वपूर्ण है, सभापति महोदय। यदि इनका बिल लैप्स हो जायगा, तो फिर नहीं आयेंगा।

श्री कंबर लाल गुप्त : मैं इतना ही निवे-

दन करना चाहता हूँ कि हम आचार्य जी का बिल नियम को सस्पेंड कर के ले रहे हैं, सस्पेंड किए बिना इस को नहीं लिया जा सकता है। जब हम नियम को सस्पेंड कर ही रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि आचार्य जी का बिल इट्रोड्यूस होने के बाद फिर सूरज भान जी के बिल को ले लिया जाय। नियम सस्पेंड करने के बाद तो कुछ भी हो सकता है...

सभापति महोदय : नियम को इतना ही सस्पेंड कर रहे हैं कि वह ले लिया जाय।

श्री कंबर लाल गुप्त : यदि ऐसी बात है तो हमारा प्रस्ताव है कि आप दोनों के लिये नियम को सस्पेंड कर दीजिए—पहला यह कि आचार्य जी के बिल को ले लिया जाय और दूसरा यह कि अगली बार पहले इस को लिया जाय, इस पर डिस्कशन समाप्त होने के बाद, आचार्य जी के बिल पर डिस्कशन शुरू हो।

सभापति महोदय : जैसा आप कह रहे हैं, वैसा नहीं हो सकेगा, मैं इस मोशन को हाउस के सामने रखता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the debate on the Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 330 and 332), by Shri Suraj Bhan, be adjourned to the next day allotted for Private Members' Bills."

The motion was negatived.

SHRI SIDDAYYA (Chamarajanagar) : Sir, I congratulate Mr. Suraj Bhan for having brought this Bill. At present, according to the provisions of the Constitution, seats are reserved for scheduled castes and tribes in proportion to their population. Some friends were arguing that they are going to ask for reservation according to population afresh. It is already there. But the point is, at present reservation is made according to the population, any fraction of it less than half is being ignored. That is the usual practice. Mr. Suraj Bhan seeks to replace the words "as nearly as may be" by "not less than."

If this Bill is passed, there will be a

[Shri Siddayya]

small weightage given to the scheduled castes' and tribes' representation in the Lok Sabha and Assemblies. I took some trouble to make some calculations. I find that if this Bill is passed only a few more seats will go to the scheduled castes and tribes. It is 9 seats for scheduled castes and 10 seats for scheduled tribes in the Lok Sabha. In the Assemblies it is 6 seats for scheduled castes and 7 seats for the scheduled tribes. Only in the case of Union Territories, there will be some difficulty because there are only two or three seats in some Union Territories and if this Bill is accepted, the scheduled castes and tribes will get the entire reservation.

Reservation was provided for these communities on the ground that they will not be elected to these important bodies unless the seats are reserved for them. It is a question of participation in the administration of the country and unless this weaker community gets some opportunity to influence the policies and programmes of the government by actually participating in the administration, this community cannot come up.

Secondly, the suggestion of Shri Suraj Bhan for the amendment of articles 330 and 332 is not a new thing. Article 330(2) reads :

"The number of seats reserved in any State or Union territory for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State or Union territory in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State or Union territory or of the Scheduled Tribes in the State or Union territory or part of the State or Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State or Union territory."

If you come to article 332(3), it reads :

"The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under Clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of

the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State."

This is a very simple proposition. If this amendment is accepted, only a few extra seats will go to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is true that an anomaly may arise in some cases. Government may feel some difficulty in making both the seats in a particular Union territory reserved for Scheduled Castes and Tribes. But there is another kind of anomaly at present. In Pondicherry the population of Scheduled Castes is 56,846. But there is no seat reserved for them, whereas in the case of Laccadive and Amindive island there is a seat reserved for them even though their population is only 24,108.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech the next time when this subject is taken up. We will now take up the Half an Hour discussion.

17.29 hrs.

[Shri Vasudevan Nair *In the Chair*]

HALF AN HOUR DISCUSSION

Supply of Soviet Arms to Pakistan

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : The Government of India's over-obliging commitment to the foreign policy of Russia and too faithful dependence on arms supplies by Russia to India have created an impression inside India, and mostly outside India, that India has almost turned to be an infra-satellite of Soviet Russia.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : It has become a very stale expression now. It is extremely stale.

SHRI SAMAR GUHA : Infrsatellite means the invisible satellite.

SHRI SWARAN SINGH : Please yourself.

MR. CHAIRMAN : I think, the interruptions should not start at this stage. It